इन्दौर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का एयर साइड दृश्य

भोपाल हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का एयर साइड दृश्य

शिलांग हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का सिटी साइड दृश्य

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
निगमित कार्यालय : राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003

16वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010–11

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया

चेन्नई में नए घरेलू टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य की प्रगति

चेन्नई में नए अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य की प्रगति

श्री वयलार रवि, माननीय नागर विमानन मंत्री का चेन्नई हवाई अड्डे के नए ए टी एस परिसर का दौरा

कोलकाता में नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य की प्रगति

विषय सूची

भा० वि० प्रा० बोर्ड के सदस्य	2
सदस्य रिपोर्ट	3
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अशक्त कार्मिकों का प्रतिनिधित्व	13
वित्तीय विशेषताएं	16
कार्यों पर एक दृष्टि	18
तुलन पत्र	20
लाभ–हानि लेखा	22
अनुलग्नक, लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां एवं लेखा नीतियां	26
नियंत्रक एवं महालेखाकर की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	52

बोर्ड के सदस्य

वी. पी. अग्रवाल
अध्यक्ष

ई.के. भारत भूषण
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन

आलोक सिन्हा
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

दीपक पारेख
अंशकालिक सदस्य

सज्जन जिन्दल
अंशकालिक सदस्य

अरुण एल. बोंगिरवार
अंशकालिक सदस्य

सतीश सी. छतवाल
सदस्य (वित्त)

के.के. झा
सदस्य (मानव संसाधन)

एस. रहेजा
सदस्य (योजना)

वी. सोमासुन्दरम
सदस्य (वित्त)

जी.के. चौकियाल
सदस्य (प्रचालन)

एम.सी किशोर
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य)
एवं कम्पनी सचिव

सदस्य की रिपोर्ट 2010–2011

प्रस्तावना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) सुदूर एवं दूर दराज के क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक क्षेत्र में हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास के लिए अवसंरचना निर्माण में अग्रणी है। भाविप्रा की स्थापना 1–4–1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय कर के की गई । भाविप्रा 23 सिविल एन्कलेवों सहित 115 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। भाविप्रा 11 अन्य हवाई अड्डों पर सीएनएस–एटीएम सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है । भाविप्रा को सम्पूर्ण भारतीय वायुक्षेत्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । निर्धारित वायुक्षेत्र में विमान यातायात सेवाओं के प्रावधानों हेतु बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर तक विस्तृत 2.8 मिलियन नॉटिकल वर्ग मील का राष्ट्रीय वायु क्षेत्र भाविप्रा के दायरे में आता है। भाविप्रा एक मिनीरत्न कैट–I, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भी है।

मुख्य बातें : एक नजर में

- अहमदाबाद, बारापानी, भोपाल, इंदौर, चंडीगढ (संघ राज्य क्षेत्र), वाराणसी तथा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ ।
- आड्चर नदी पर 447.5 मीटर x 200 मीटर आकार का आर सी सी/प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज का निर्माण तथा चेन्नई हवाई अड्डे पर द्वितीय रन वे का विस्तार कार्य पूर्ण हुआ।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर बड़े आकार के विमान (बी–747) के लिए अतिरिक्त रात्रि पार्किंग स्टैंडों का कार्य पूर्ण हुआ।
- नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में द्वितीय रनवे का विस्तार, टैक्सी ट्रैक तथा एप्रन का निर्माण एवं नवीन प्रचालन भवन का निर्माण पूरा हुआ।
- अगाती हवाई अड्डे पर रनवे का सुदृढीकरण।
- आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली, राजीव गॉधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तथा बंगलौर हवाई अड्डों पर एयरपोर्टस सरफेस मूवमेंट एंड गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम चालू किया गया।
- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा अहमदाबाद हवाई अड्डों पर परफार्मेंस बेस्ड नेवीगेशन (पीबीएन) प्रक्रियाएं कार्यान्वित की गई ।
- दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एवं बंगलौर हवाई अड्डों पर एटीसी प्रणाली का ऑटोमेशन कार्यान्वित किया गया ।
- डेडीकेटेड सेटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क (डीएससीएन) को 63 साइटों पर प्रचालानात्मक बनाया गया ।
- गगन परियोजना का अंतिम प्रचालनात्मक चरण (एफओपी) पी–सैट पूरा हुआ ।
- जमीनी टैक्सिंग समय को कम करने के लिए आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली के दोनों धावनपथों 10/28 एवं 11/29 पर मिक्स्ड मोड प्रचालनों को लागू किया गया ।
- आई जी आई हवाई अड्डा दिल्ली पर एप्रोच नियंत्रण अधिकार क्षेत्र में सेपरेशन को 5 एन एम से घटाकर 3 एन एम किया गया। इससे प्रति घंटा आगमनों की संख्या में वृद्धि हुई है ।
- क्रमशः सितम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 से कोलकाता एवं चेन्नई हवाई अड्डों पर आई सी ई एस 1.5 संस्करण के लांचिंग सहित ई ट्रेड/ई.डी.आई. कनेक्टिविटी का शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन ।
- पोर्टब्लेयर में हवाई कार्गो परिसर की शुरुआत एवं इसे प्रचालित किया गया ।
- निगमित मुख्यालय के अभियांत्रिकी स्कंध को आई एस ओ–9001–2008 प्रमाणन के अंतर्गत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्राप्त हुई ।
- वर्ष 2010–11 के दौरान विमान संचलन एवं यात्री आवागमन के साथ–साथ कार्गो हैंडल करने के संदर्भ में संगठन का विकास हुआ । कर के बाद लाभ ₹ 712.29 करोड़ से बढकर ₹ 846.39 करोड़ हो गया ।

वित्तीय कार्य निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–2011	2009–2010
क) राजस्व	5139.21	4615.29
ख) व्यय	3792.92	3386.85
ग) कर पूर्व लाभ	1346.29	1228.44
घ) कर हेतु प्रावधान	566.90	575.65
च)आस्थगित कर देयता / (परिसम्पत्ति)	(67.00)	(59.50)
छ) कर के बाद लाभ	846.39	712.29
ज) लाभांश *	169.30	142.50
झ) लाभांश पर कर	24.46	23.67
ट) आरक्षितों का विनियोजन :		
i) विशेष आरक्षित	259.85	218.44
II) सामान्य आरक्षित	389.77	327.68
ठ) आंतरिक संसाधन	1491.81	1248.40
*अंतरिम लाभांश सहित		

पूंजीगत संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को	31 मार्च, 2010 को
क) सरकारी पूंजी	655.61	623.34
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	6960.97	6510.97
ग) उधारियॉं	1225.24	671.94
घ) शुद्ध मूल्य	7616.58	7134.31
च) नियोजित पूंजी	3891.60	3285.00
छ) कार्यशील पूंजी	(1468.55)	(1031.00)

सरकार को भुगतान

(₹ करोड़ में)

लाभांश	142.50
गारंटी फीस	3.08
सरकारी बजटीय सहायता पर ब्याज ऋण	2.77
सरकारी ऋणों की पूर्व अदायगी / पुनर्अदायगी	49.57
कुल	**197.92**

विदेशी मुद्रा

वर्ष 2010–11 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं की खरीद, स्पेयर पार्टों, विदेशी यात्रा, विदेशी ऋणों के पुनर्भुगतान आदि पर लगभग ₹ 192.66 करोड़ की राशि खर्च हुई । भाविप्रा का मानित विदेशी मुद्रा अर्जन लगभग ₹ 1209.12 करोड़ था ।

सरकार से भुगतान

वर्ष के दौरान भाविप्रा ने सरकार से बजटीय सहायता अनुदान के रुप मे ₹ 64.55 करोड़ तथा ₹ 251.50 करोड़ प्राप्त किया । देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास एवं उन्नयन हेतु एन ई सी ने अनुदान के रुप में ₹ 26.19 करोड़ प्रदान किए ।

पूंजीगत व्यय

वर्ष 2010–11 के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 2503.12 करोड़ रहा है । ऐसा भाविप्रा द्वारा हाथ में ली गई अनेक अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की वजह से संभव हुआ है । इसमें जारी कार्यों की प्रगति पर निगमित मुख्यालय स्तर पर रखी गई कड़ी निगरानी का भी योगदान रहा है ।

हवाई अड्डों को पट्टे पर देने से हुई आय

वर्ष के दौरान दो संयुक्त उद्यम कंपनियों नामतः दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड तथा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड से राजस्व के हिस्से के रुप में ₹ 1035.98 करोड़ (डी आई ए पी एल– ₹ 577. 26 करोड़ तथा एम आई ए पी एल – ₹ 458.72 करोड़) की राशि प्राप्त हुई ।

सदस्यों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में सामग्री प्रस्थान के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है ।

ii) सदस्यों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उनको निरंतर लागू किया है एवं निर्णय दिए हैं व प्राक्कलन किया है जोकि उचित व विवेकपूर्ण हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष 2010–11 के अंत तक प्राधिकरण के कारोबार की स्थिति तथा उस अवधि में प्राधिकरण के लाभ की सच्ची और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत कर सकें ।

iii) लेखाकरण रिकार्डों के समुचित रखरखाव के लिए सदस्यों ने उचित व पर्याप्त ध्यान दिया ।

वर्ष 2010–11 के दौरान संभाला गया यातायात

विवरण	यूनिट	अंतरराष्ट्रीय	अन्तर्देशीय	कुल
विमान संचलन	संख्या	3,00,197	10,93,663	13,93,860
संभाले गए यात्री	संख्या	3,79,07,547	10,55,22,726	14,34,30,273
कार्गो	टन	14,96,239	8,52,197	23,48,436

2010–11 में पूर्ण हुए विमानक्षेत्र संबंधी मुख्य कार्य

- सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद पर नया अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन चालू हुआ।
- त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर नया अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन चालू हुआ ।
- बारापानी हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन चालू हुआ।
- भोपाल हवाई अड्डे पर नया एकीकृत टर्मिनल का चालू होना, नए एप्रन का निर्माण, विद्यमान एप्रन व लिंक टैक्सीवेज संबंधी विस्तार कार्य पूर्ण हुए ।
- चंडीगढ़ एवं वाराणसी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन चालू हुए ।
- डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर विद्यमान रनवे एवं टैक्सीवेज के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण हुआ ।
- इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि लैंडिंग सुविधाओं की शुरुआत हुई ।
- इंदौर हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल, धावनपथों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, लिंक टैक्सी ट्रैकों के साथ नए एप्रनों का निर्माण तथा लिंक टैक्सीट्रैक साथ–साथ आइसोलेशन बे का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ ।
- मदुरै एवं मैसूर हवाई अड्डों पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन चालू हुआ ।
- पुणे सिविल एन्क्लेव पर समानांतर टैक्सीवेज तथा नए लिंक टैक्सीवेज का निर्माण व टर्मिनल भवन के विस्तार का कार्य पूर्ण हुआ ।
- रांची हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार, आइसोलेशन बे का निर्माण तथा रनवे के पुनः सतहीकरण का कार्य पूर्ण हुआ ।
- श्रीनगर हवाई अड्डे पर एप्रन के विस्तार का कार्य पूर्ण हुआ ।
- वाराणसी हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा एप्रन के विस्तार का कार्य पूर्ण हुआ ।
- अगाती हवाई अड्डे पर रनवे के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण हुआ ।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर रनवे–07 के उत्तर में भाविप्रा की जमीन को घेरने के लिए पेरीमीटर दीवार का निर्माण।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर मुख्य रनवे–07 / 25 से जुड़ने वाले एक टैक्सीवे सहित बी–747 विमान के लिए 4 रात्रि पार्किंग स्टैंडों का निर्माण।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर द्वितीय रनवे का विस्तार, टैक्सी ट्रैक व एप्रन का निर्माण, एप्रन लाइटिंग सहित दृश्य लाइटिंग साधनों का प्रावधान तथा संबंधित सिविल व विद्युत संबंधी कार्य।
- चेन्नई हवाई अड्डे पर आर.सी.सी. / अडयार नदी पर प्रीस्ट्रेस्ड पुल का निर्माण।
- कोलकाता हवाई अड्डे पर द्वितीय रनवे का विस्तार, टैक्सी ट्रैक का निर्माण, एप्रन लाइटिंग की व्यवस्था
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पर प्रचालन भवन का निर्माण ।
- जैसलमेर हवाई अड्डे पर एप्रन तथा लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण ।

प्रचालन संबंधी सुविधाएं

अहमदाबाद, अमृतसर, कालीकट, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, मंगलौर, श्रीनगर, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर, वाराणसी तथा विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर मैकेनाइज्ड इन्वायर्नमेंटल सपोर्ट सिस्टम (एम ई एस एस) का कार्यान्वयन किया गया । अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, बागडोगरा, बारापानी, कालीकट, कोयम्बटूर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गोवा, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुबली, इम्फाल, जम्मू, जामनगर, कांगड़ा, कुल्लू, लेह, मदुरै, मंगलौर, मैसूर, पोरबंदर, राजमुंद्री, रांची, शिमला, तेजपुर, तिरुपति, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी एवं विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर इन्वायर्नमेंटल सपोर्ट सिस्टम (ई एस एस) का कार्यान्वयन किया गया ।

भविष्य में औरंगाबाद, भोपाल, कोयम्बतूर, इंदौर, लखनऊ, मैसूर, रायपुर, राजमुंद्री एवं रायपुर हवाई अड्डों पर एम ई एस एस को लागू किए जाने की योजना है ।

वर्ष के दौरान पूरी की गई प्रमुख सीएनएस/एटीएम योजना

1. इंदिरा गॉधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, राजीव गॉधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तथा बंगलौर हवाई अड्डा, बंगलुरु पर एयरपोर्ट सर्फेस मूवमेंट एंड गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम (ए एस एम जी सी एस) चालू किया गया । ए एस एम जी सी एस को चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता हवाई अड्डों पर भी स्थापित किया गया है और यह परीक्षणाधीन है ।
2. कार्यनिष्पादन आधारित दिक्चालन (पी बी एन) प्रक्रियाओं को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एवं अहमदाबाद हवाई अड्डों पर कार्यान्वित किया गया । इन हवाई अड्डों से संबंधित एटीएस मार्गों तथा टर्मिनल क्षेत्र का पीबीएन कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत पुनः सुयोजन एवं आप्टीमाइज्ड किया गया है। इससे संरक्षा, दक्षता एवं क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । घटे हुए ट्रैक माइल्स तथा दक्ष उड़ान मार्गों के कारण पीबीएन ने पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण फायदे प्रदान किए हैं ।
3. उंचाई क्लीयरेंस तथा उनकी उत्तरवर्ती मानीटरिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र एप्लिकेशन साफ्टवेयर को आंरभ किया गया ।
4. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तथा बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एटीसी प्रणाली के आटोमेशन को लागू किया गया तथा वर्तमान वर्ष में कोलकाता हवाई अड्डे पर इसे लागू करने की योजना है ।
5. कालीकट धावनपथ (रनवे – 10) लखनऊ (केट ।। स्तर पर उन्नयन), चंडीगढ़, सिलचर, श्रीनगर तथा कानपुर पर कम शक्ति दूरी मापन उपकरण सहित उपकरण अवतरण प्रणाली को आंरभ किया गया तथा दिल्ली (धावनपथ 10/28) पर इसे बदला एवं आरंभ किया गया।
6. 16 जनवरी 2011 को चेन्नई में एन–रुट एजेंसी नामतः बीओबीएएसएमए स्थापित की गई । भारत ने प्रथम चरण में बंगाल की खाडी, अरब सागर व भारतीय समुद्री क्षेत्र में 50 एनएम कम देशान्तरी पृथक्करण और इसके प्रचालन के निरंतर सुरक्षित प्रयोग को आरंभ करने के लिए प्रथम हवाई क्षेत्र विश्लेषण एवं संरक्षा मूल्यांकन किया है। विचाराधीन क्षेत्र के भीतर 14 सदस्य राष्ट्र हैं । एपीएसी क्षेत्र में प्राधिकृत हवाई क्षेत्र मानीटरिंग संगठन के रुप में सितंबर 2011 में भारतीय एनरुट मानीटरिंग एजेंसी बीओबीएएसएमए को एपीएएनपीआईआरजी/22 की संस्तुति मिलने की संभावना है ।
7. वैमानिक सूचना सेवाओं का आटोमेशन जून, 2010 में पूर्ण हो गया ।
8. 38 गैर– मेट्रो हवाई अड्डों पर एटीसी प्रणाली के आटोमेशन का कार्य प्रगति पर है तथा जून 2012 तक पूर्ण हो जाएगा।
9. 63 स्थलों पर समर्पित सैटेलाइट संचार नेटवर्क प्रचालित कर दिया गया है ।
10. मैसूर एवं देहरादून हवाई अड्डों पर डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति ओमनी डायरेक्शनल रेंज (डीवीओआर) सहित को लोकेटेड उच्च शक्ति दूरी मापन उपकरण (एच पी–डीएमई) को आरंभ किया गया तथा एनएससीबीआई कोलकाता, कोचीन, औरंगाबाद, जयपुर, इंदौर पर पुनस्थापन /प्रतिस्थापन उपरांत चालू किया गया।
11. 30 हवाई अड्डों पर वॉयस नियंत्रण संचार प्रणाली वी सी सी एस आरंभ की गई ।
12. सिंगापुर हेतु लिंक सहित मुंबई पर एटीएस संदेश हैंडलिंग प्रणाली की स्थापना की गई। बीजिंग, कराची तथा अन्य केन्द्रों के साथ लिंक स्थापना की प्रक्रिया अग्रिम चरण पर है ।

गगन का कार्यान्वयन

ग्राउंड अवसरंचना विकास योजना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जीपीएस एडेड जियो अगुमेंटेशन दिक्चालन (गगन) भारतीय सैटेलाइट आधारित दिक्चालन प्रणाली (एसबीएएस) का कार्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति पर है। वर्तमान में यह अंतिम प्रचालन चरण में है जिसमे अतिरिक्त ग्राउंड आधारित तत्व, नुकसानदेह दिग्भ्रमित सूचना (एचएमआई) विश्लेषण तथा प्रमाणन कार्य प्रगति पर हैं। मार्च 2011 तक की मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- सभी ग्राउंड आधारित तत्वों (15 रेफरेंस स्टेशन, 2 मास्टर नियंत्रण केन्द्र एवं 2 ग्राउंड अपलिंक स्टेशन) को प्रतिष्ठापित किया गया व जाँच की गई।
- बंगलौर में स्थित भारतीय मास्टर नियंत्रण केन्द्र (आई एन एम सी सी) पर आप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से सभी भारतीय रेफरेंस स्टेशन इंटरलिंक किए गए।
- गगन प्रणाली की प्राथमिक प्रणाली स्वीकृति परीक्षा को 10 दिसंबर 2010 तक पूर्ण किया गया ।

हवाई यातायात प्रबंधन

1. हवाई मार्ग प्रबंधन सुधार तथा उडान प्रचालन में दक्षता लाने के लिए निम्नलिखित एटीएस मार्गो को स्थापित किया गया जिससे ईंधन बचत एवं विमानन प्रदूषण में कमी आई है :–
   क) एटीएस मार्ग आर – 457 (मेल –टी वी) को चेन्नई तक विस्तारित किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय उडानों को जोड़ा जा सके जिससे 112 एनएम की दूरी में कमी आई।
   ख) रायपुर व हैदराबाद के बीच नवीन अन्तर्देशीय मार्ग डब्ल्यू 136 को स्थापित किया गया जिससे 152 एनएम की दूरी की कमी आई।
   ग) एसजी एनडीबी से पुणे के बीच सीधे संपर्क हेतु नवीन अन्तर्देशीय मार्ग डब्ल्यू 134 को स्थापित किया गया इससे 24 एनएम दूरी की कमी आई।
   घ) दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई एफआईआर में नवीन सीरीज (विक्टर) के एटीएस कनेक्टर को स्थापित किया गया ।
2 ग्राउंड टैक्सिंग समय में कमी लाने के लिए आई जी आई , दिल्ली पर दोनों धावनपथ 10/28 तथा 11/29 पर मिक्स्ड मोड प्रचलन को लागू किया गया ।
3 आई जी आई हवाई अड्डे पर एप्रोच नियंत्रण ज्यूरिडिक्शन में पृथक्करण को 5 एनएम से 3 एनएम कम किया गया जिसके कारण प्रति घंटा आने वाली उड़ानों की संख्या में वृद्धि हुई।
4 तीसरे रनवे के लिए कम दृश्यता प्रक्रियाओं सहित धावनपथ को समानान्तर प्रचालन हेतु योग्य करने के लिए आई जी आई हवाई अड्डा (दिल्ली) में कम दृश्यता स्थितियों हेतु आगमन /प्रस्थान प्रक्रियाएं लागू की गई।
5 आई जी आई हवाई अड्डे पर ध्वनि प्रदूषण में कमी लाने के लिए धावनपथ प्रयोग योजना लागू की गई । आई जी आई हवाई अड्डे पर ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए निरंतर डिसेंट आगमन प्रक्रिया लागू की गई।
6 अधिक उड़ान प्रशिक्षण गतिविधियों को संभालने के लिए आई जी आर यू ए, फुरसतगंज एवं गोंदिया में नियंत्रण हवाई क्षेत्र सीमा को बढ़ाया गया।
7 मुंबई हवाई अड्डे पर क्रास धावनपथ प्रचालन हेतु प्रकियाएं लागू की गई।
8 दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद तथा बेंगलुरु हवाई अड्डे पर क्लीयरेंस डिलीवरी (प्रस्थान–पूर्व क्लीयरेंस तथा प्रस्थान क्लीयरेंस) को लागू किया गया ।
9 मुंबई हवाई अड्डे पर अलग से हेलिकाप्टर कॉरिडॉर का निर्माण किया गया तथा जुहू टॉवर को विशेष वी एफ आर उड़ान को मुंबई एप्रोच की ओर से संभालने हेतु प्राधिकृत किया गया ताकि मुंबई एप्रोच नियंत्रक के यातायात भार को कम किया जा सके तथा एपीपी आवृत्ति पर संचार अवरोध दूर किया जा सके।

10 सुरक्षित, क्रमवार तथा हवाई यातायात के अधिक आवागमन हेतु विभिन्न हवाई अड्डो पर 34 एप्रोच हेतु यांत्रिक अवतरण (आई ए एल) लगाए गए हैं।

11 आई जी आई ,हवाई अड्डे पर एस आई डी (गैर– आर एन ए वी) धावनपथ, 09/10/11 धावनपथ तथा धावनपथ 27/28/29 तथा संशोधित आर एन ए वी–1 एस आई डी एवं स्टारस् को लागू किया गया ।

विमानक्षेत्र लाइसेंसिंग

नागर विमानन आवश्यकताओं के संशोधनों को शामिल कर, भाविप्रा हवाई अड्डों हेतु विमानक्षेत्र लाइसेंसिंग पर नियमपुस्तिका को अद्यतन किया गया तथा नए दस्तावेजी प्रक्रिया के अनुसार नियमपुस्तिका की रिडिजाइनिंग की गई। नियम पुस्तिका को पब्लिक डोमेन पर अद्यतन किया गया है। 'संरक्षा प्रबंधन प्रणाली एवं विमानक्षेत्र लाइसेंसिग' पर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 78 कार्यपालकों ने भाग लिया ।

वर्ष के दौरान , भाविप्रा के 9 हवाईअड्डों नामतः एसवीआई, अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई तथा कोलकाता के लाइसेंस को नियमित किया गया तथा डीजीसीए ने इन लाइसेंस का नवीकरण किया । भाविप्रा के 17 हवाई अड्डों नामतः तिरुपति, तुतीकोरिन, हुबली, सेलम, जबलपुर, राजमुंद्री, लीलाबारी, पोरबंदर, कुल्लू मनाली, देहरादून, विजयवाड़ा, सूरत, अगाती, पांडिचेरी, भावनगर, शिमला तथा लुधियाना के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदनों को प्रस्तुत कर दिया गया है । भाविप्रा के 13 हवाई अड्डों नामतः भोपाल, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, इंदौर, उदयपुर, वडोदरा, रायपुर, कूच बिहार, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, मदुरै, दीमापुर तथा डिब्रूगढ़ ने डीजीसीए का विमानपत्तन लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। 2 हवाई अड्डों कोयंबटूर तथा मंगलूर हेतु विमानक्षेत्र लाइसेंस का नवीकरण किया गया ।

विमानन संरक्षा

विमानन संरक्षा निदेशालय सहित हवाई दिक्चालन सेवाओं एवं हवाई अड्डा प्रबंधन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विभिन्न प्रचालन गतिविधियों के संरक्षा पहलुओं को देखता है । उक्त उल्लिखित अवधि के दौरान प्रणालीबद्ध कमियों एवं जोखिम की पहचान हेतु इस निदेशालय ने भाविप्रा द्वारा संचालित 13 विमानक्षेत्रों का संरक्षा आडिट किया है ।

डी जी सी ए ने संरक्षा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना पर नागर विमानन अपेक्षाएं खण्ड –1 सामान्य सीरीज भाग 1 दिनांक 20 जुलाई 2010 को जारी किया है । एसएमएस कार्यान्वयन का पहला चरण 20 नवंबर 2010 तक पूर्ण किया जाना था। भाविप्रा ने अपनी संरक्षा नीति एवं उद्देश्य को डीजीसीए सी ए आर के अनुसार समीक्षा कर एस एम एस के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। एसएमएस कार्यान्वयन योजना तथा विनियामक अपेक्षाओं सहित गैप विशेषण को तैयार कर दिया गया है । भाविप्रा बोर्ड द्वारा अध्यक्ष को उत्तरदायित्व कार्यपालक एवं कार्यपालक निदेशक (विमानन संरक्षा) को संरक्षा प्रबंधक के रुप में नामित किया गया है । एसएमएस कार्यान्वयन के प्रथम चरण की अपेक्षाओं के अनुसार इस सूचना एवं अन्य दस्तावेजों को बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् डीजीसीए को प्रेषित किया गया है । इसके साथ, भाविप्रा में एसएमएस को लागू करने का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। हमारी सेवाओं के निष्पादन में संरक्षा एवं दक्षता के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने में कार्मिक प्रशिक्षण एवं क्षमता, सरंक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अपेक्षित स्तर की क्षमता को प्राप्त करने तथा सभी कार्मिकों में एसएमएस जागरुकता लाने के लिए, क्रमशः 17–20 अगस्त 2010 ,25–29 अक्तूबर 2010 तथा 10–13 जनवरी 2011 को भारतीय विमानन अकादमी में विमानन संरक्षा निदेशालय द्वारा संरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा विमानक्षेत्र लाइसेंसिंग पर तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

कार्गो गतिविधियां

वर्ष के दौरान 3,19,619 मैट्रिक टन कार्गो संभाला गया जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 23.48% अधिक है।

1.12.2010 से चेन्नई हवाईअड्डे पर निर्यात ग्राउंड हैंण्डलिंग प्रचालन का आरंभ तथा 1.2.2011 से आयात आंरभ किया गया। इसी प्रकार कोलकाता हवाई अड्डे पर 21.12.2010 से निर्यात आरंभ किया गया ।

कोलकाता आई सी ई एस 1.5 संस्करण के साथ अमृतसर/कोयंबटूर पर वी पी एन इंटर क्नेक्टिविटी का विकास जिससे कोलकाता पर अब संरचना का इष्टतम उपयोग होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता

इलैक्ट्रानिक निविदा तथा प्रापण प्रणाली को लागू किया गया।

एक नए एप्लिकेशन साफ्टवेयर अनापत्ति प्रमाणपत्र एप्लिकेशन प्रणाली को लागू किया गया । यह एप्लिकेशन साफ्टवेयर उंचाई क्लीयरेंस तथा उसकी उत्तरवर्ती मानीटरिंग हेतु प्रस्तुत किए ऑनलाइन अनुरोध के लिए सार्वजनिक इंटरफेस उपलब्ध कराएगा। इस एप्लिकेशन को आंतरिक एवं बाहरी दोनों जगह प्रयोग किया जाएगा तथा इसे ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के भाग के रुप में स्थापित किया गया है।

प्रशिक्षण

नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी ए टी सी), इलाहाबाद

सीएटीसी में एटीएम संकाय द्वारा 42 बैच में 497 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 496 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें अफगानिस्तान को सीएनएस एवं एटीएम कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु सहयोग करार के अधीन अफगानिस्तान के 12 प्रशिक्षु भी शामिल थे । नई दिक्चालन सुविधाएं नामतः डीवीओआर एवं डीएमई को प्रतिष्ठापित किया गया व इनका हवाई अंशशोधन किया गया तथा इसका प्रयोग प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा।

भारतीय विमानन अकादमी

नागर विमानन में प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय विमानन अकादमी की स्थापना जुलाई 2010 को उत्कृष्टता के केन्द्र के रुप में हुई थी । भारतीय विमानन अकादमी को एक स्वायत्त निकाय के रुप में स्थापित किया गया है तथा इसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रुप में की गई है एवं भाविप्रा , डीजीसीए तथा बीसीएएस इसके हिस्सेदार हैं।

भाविप्रा एवं इकाओ के मध्य इकाओ– विकासशील देशों हेतु भारतीय फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारतीय विमानन अकादमी में वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :–

दो कार्यक्रम नामतः हवाई अड्डा वाणिज्य प्रबंधन तथा हवाई अड्डा सुरक्षा क्रमशः 6–10 दिसंबर तथा 13–17 दिसंबर, 2010 को आयोजित किए गए । उक्त प्रत्येक कार्यक्रम में विकासशील देशों जैसे कि बांग्लादेश, नाइजीरिया, जिम्बाबवे, मॉरिशस, सेंट लुसिया जैसे विकासशील देशों के 6 प्रतिभागियों को फैलोशिप प्रदान की गई ।

96 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 2177 प्रतिभागियों ने भाग लिया। हवाई अड्डा प्रबंधको हेतु 6 ''आरंभिक पाठ्यक्रम'' , पक्षी टकराव नियंत्रण प्रबंधन भाग– I एवं II पर इकाओ– एसटीपी पाठ्यक्रम, विमानपत्तन निदेशक/विमानपत्तन नियंत्रकों हेतु वायुक्षेत्र प्रचालन प्रबंधन तथा आरंभिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए ।

सूचना सुरक्षा एवं इथिकल हैकिंग जागरुकता कार्यक्रम पर संगोष्ठी का आयोजन ।

सामूहिक निर्णय कैसे करें विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई ।

राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, गोंदिया

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सीएई, कनाडा के सहयोग से राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान नामकः एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की । यह संस्थान गोंदिया महाराष्ट्र में स्थित है । इस संयुक्त उद्यम कंपनी में भाविप्रा की 49% पूंजीगत इक्विटी एवं सीएई की 51% पूंजीगत हिस्सेदारी है। इस संस्थान का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (आर जी एन एफ टी आई) रखा गया है ।

राष्ट्रीय विमानन प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान

नियाटाम की स्थापना 16 अगस्त 2010 को गोंदिया, महाराष्ट्र में की गई। ₹ 50 करोड़ की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त संस्थान 42 एकड़ में फैला हुआ है। इस संस्थान में चार सौ उन्नीस विद्यार्थियों को संभालने की क्षमता, बत्तीस संकाय आवास, कक्षाओं हेतु प्रशासनिक खण्ड, प्रोसिजरल लैब, कार्यालय, संसाधन केन्द्र तथा समर्पित कैफेटेरिया है। इस संस्थान में कनिष्ठ कार्यपालकों हेतु आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5 बैच आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें अठावन विद्यार्थियों ने एडीसी/ एपीपी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया है जिसके बाद प्रशिक्षित एटीसीओ को देश के विभिन्न हवाई अड्डो पर तैनात किया गया है । वर्तमान में एन आई ए टी ए एम में के इस प्रारंभिक पाठ्यक्रम में 36 कनिष्ठ कार्यपालक प्रशिक्षुओं का एक नया बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ।

36 कनिष्ठ कार्यपालक प्रशिक्षुओं का एक नया बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ।

मानव संसाधन प्रबंधन

औद्योगिक पद्धति के अनुसार मानव संसाधन विभाग के रुप में कार्मिक विभाग का पुनः नामकरण किया गया ।

वर्ष 2010–11 के दौरान कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक संवर्गों में विभिन्न प्रभागों यथा विमान यातायात नियंत्रण, संचार, इलैक्ट्रॉनिक्स, अग्निशमन, इंजीनियरिंग, भूमि प्रबंधन, विमानपत्तन प्रचालन, कार्गो आदि में 1113 व्यक्ति (230 समूह क, 672 समूह ख व 211 समूह ग) भर्ती हुए थे। 31 मार्च, 2011 को भा0 वि0 प्रा0 में 18, 243 कर्मचारी कार्यरत थे ।

विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन जो एक मान्यता प्राप्त यूनियन है के साथ वर्ष के दौरान कार्मिकों के वेतनमान व अन्य लाभों के प्रावधान हेतु एक दीर्घकालिक समझौता (एल टी एस) पर हस्ताक्षर किए गए । यह दीर्घकालिक समझौता (एल टी एस) दिनांक 1–1–2007 से 31–12–2016 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है । औद्योगिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए यूनियन, ऑफिसर एसोसिएशन आदि के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है ।

वर्ष 2010–11 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए :

(i) भा0 वि0 प्रा0 में कार्यपालकों के लिए नई निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पी एम एस) का आरंभ।

(ii) आर टी आई अधिनियम, 2005 के अधीन अनेक सी पी आई ओ/पी आई ओ व अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति ।

(iii) भा0 वि0 प्रा0 के कर्मचारियों के भविष्य निधि नियमों का आशोधन ।

(iv) सीधी भर्ती के लिए ऑन लाइन आवेदनों की प्राप्ति, शुल्क का भुगतान तथा प्रवेश पत्र जारी करना ।

(v) इंजीनियरिंग, मानव संसाधन, सुरक्षा, जन संपर्क, विमानन संरक्षा, राजभाषा, चिकित्सा व आशुलिपि संवर्ग की पुनर्संरचना व सुदृढीकरण ।

(vi) कार्यपालकों की अनुलब्धियों (पर्क) का निपटान ।

(vii) वर्तमान पद्धति के अनुसार छः माह में की जाने वाली डी पी सी को बदलने का नीति निर्णय लेकर वर्ष में एक बार आयोजित करना ।

(viii) सरकारी नीति के अनुसार मातृत्व छुट्टी को 135 दिनों से बढाकर 180 दिन कर दिया गया है ।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भा0 वि0 प्रा0, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अधिनियमों व नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान हिन्दी प्रगति की समीक्षा व कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए निगमित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों व फील्ड स्टेशनों पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । भा0 वि0 प्रा0 के निगमित मुख्यालय व लगभग अन्य सभी स्टेशनों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई ।

हिन्दी शिक्षण योजना अथवा विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं ।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा तिरुपति व कानपुर हवाई अड्डे का राजभाषा निरीक्षण किया गया । श्रीनगर हवाई अड्डे पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के साथ एक विचार–विमर्श कार्यक्रम संसदीय राजभाषा समिति की प्रारुप व साक्ष्य उप समिति द्वारा किया गया ।

भा0 वि0 प्रा0 में हिन्दी के प्रयोग को बढाने के लिए निगमित मुख्यालय के उप महाप्रबंधक (राजभाषा) के साथ नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय व अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया ।

भा0 वि0 प्रा0 में खेलकूद गतिविधियां

खेलकूद गतिविधियों को सदैव भा0 वि0 प्रा0 प्रबंधन का सहयोग प्राप्त हुआ है । भा0 वि0 प्रा0 के कर्मचारियों की संतानों को/ने विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया /राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए जिनमें से कुछ विशेष रुप से इस प्रकार है : (i) खेलकूद मंत्रालय द्वारा परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार 2010 प्रदान किया गया (ii) भारत के राष्ट्रपति द्वारा कफिरा मरीस्कस रॉडरिग्स को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2010 प्रदान किया गया

(iii) चीन में आयोजित एशियाई खेलों में हरिका द्रोणावली को कॉस्य पदक दिया गया तथा (iv) राष्ट्रीय खेलों में 70 मी0 वैयक्तिक मिश्रित प्रतियोगिता (धनुर्विद्या) (इंडिविजुअल कम्पाउण्ड इवेंट) में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता।

निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

एक जिम्मेदार निगमित संस्थान होने के नाते भा0 वि0 प्रा0 भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सी एस आर नीति के अधीन विभिन्न समाज कल्याण की योजनाएं चला रहा है । जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैः–

आस–पास के समुदायों के लिए 24X7 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सिक्किम सरकार के साथ साझेदारी में पेकयोंग स्वास्थ्य केन्द्र का आरंभ। आज तक यहॉ पाँच तिमाही स्वास्थ्य जाँच कैम्प आयोजित किए गए । इस स्वास्थ्य केन्द्र में नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए परामर्श सेवाएं भी दी गई । हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार सिक्किम सरकार चिकित्सा एवं पैरामेडीकल स्टाफ उपलब्ध कराएगी जबकि भा0 वि0 प्रा0 दवाइयां प्रदान करेगा ।

पेकयोंग में लांसिंग एवं डिकलिंग गांवों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना ।

गवर्नमेंट रिसाइकल्ड ऑफिस वेस्ट (जी आर ओ डब्ल्यू) की सहायता के लिए कल्याणमयी – ए ए आई डब्ल्यू डब्ल्यू ए के तत्वावधान में पेपर रिसाइकलिंग व स्टेशनरी इकाई की स्थापना की गई । यह इकाई पर्यावरण को सुरक्षित रखने व शोषित वर्ग के लिए रोजगार उत्पन्न करने हेतु बेकार कागजों को उपयोगी कागजों की स्टेशनरी सामग्री में परिवर्तित करती है ।

अनुपयोगी सामग्री को रिसाइकिल करने तथा हमारी मातृभूमि को सुरक्षित रखने के लिए गारबेज प्रबंधन प्रणाली ।

सतर्कता संबंधी गतिविधियां :–

संगठन में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने में सतर्कता विभाग प्रबंधन के लिए निरंतर एक सकारात्मक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है । वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा सम्पन्न मुख्य गतिविधियों में से कुछ नीचे दी गई है :–

- चेन्नई में संयुक्त महाप्रबंधक व उप महाप्रबंधक स्तर के कार्मिकों के लिए ''सतर्कता एक दृष्टिकोण व सी एन एस प्रबंधन के खरीद संबंधी मामले'' विषय पर दक्षिणी क्षेत्र में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

- क्षेत्रीय मुख्यालय, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई में 25–11–10 को '' सी एन एस संबंधी खरीद व पूंजीगत कार्यो में होने वाली सामान्य चूक '' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

- समय –समय पर भारतीय विमानन अकादमी (निआमार) व अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सतर्कता अधिकारियों/महाप्रबंधक (सतर्कता) द्वारा सतर्कता माड्युल यथा :– ' सतर्कता एक प्रबंधन टूल ' पर प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है ।

- अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 18–2–11 से 19–2–11 के दौरान इंजीनियर व वित्त अधिकारियों के लिए '' ठेका खण्डों का प्रभावी प्रवर्तन तथा समय पर उसकी वसूली '' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

- 'आर्ट ऑफ लिविंग' से सुश्री त्रिप्ता धवन द्वारा ''दबाव प्रबंधन व श्वास'' पर एक व्याख्यान दिया गया । वरिष्ठ प्रबंधक से महाप्रबंधक स्तर तक के 60 अधिकारियों ने इस व्याख्यान में भाग लिया ।

- निविदा प्रणाली, खरीद प्रक्रिया, कार्यो के निष्पादन आदि में सुधार लाने के लिए 16 तकनीकी अनुदेश जारी किए गए ।

तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नए स्वतंत्र बाह्य अनुवीक्षकों की नियुक्ति की गई ।

भावी दृष्टिकोण

भा0 वि0 प्रा0 संगठन के अत्यंत प्रशिक्षित इंजीनियरिंग, अन्य तकनीकी व वित्तीय कार्मिकों के कारण संगठन की अन्तर्निहित शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है । देश में टीयर 2 व टीयर 3 शहरों में नए टर्मिनल आरंभ किए जा रहे है, नागर विमानन के विस्तार का केन्द्र अब मैट्रो शहरों से देश में इन टीयर 2 व टीयर 3 शहरों में परिवर्तित हो गया है । मार्ग के फैलाव के संबंध में भा0 वि0 प्रा0 द्वारा तथा सरकार की नीति के आधार पर दी गई रियायतों के कारण टीयर 2 व टीयर 3 जैसे छोटे में शहरों के भीतर व बाहर अधिक से अधिक लोगों के उडान भरने के कारण गत कुछ वर्षो में आशातीत बढ़ोत्तरी हुई है ।

इन हवाई अड्डों पर बढ़ाई गई सुविधाओं के कारण प्राधिकरण आने वाले वर्षो में बेहतर लाभांश प्राप्त करेगा । इन शहरों में प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न सुविधाओं के संगठित विपणन को भी प्रारंभ करने की आवश्यकता है । प्राधिकरण ने इन शहरों में अपनी सुविधाओं से आय अर्जित करने हेतु एयरलाइनों के साथ बातचीत की प्रक्रिया आरंभ की है । वाणिज्यिक उपयोग की नवीन पद्धति द्वारा गैर–यातायात राजस्व को बढाने तथा भू–संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने अपेक्षित है । 10 चुनिंदा गैर–मैट्रो हवाई अड्डो के शहरी ओर के विकास हेतु प्रस्ताव को भी शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त 80 सीटों की क्षमता वाले विमान के लिए विमानपत्तन प्रभारों के भुगतान की छूट के कारण एयरलाइनों को जो अनेक रियायते प्रदान की गई थी उन्हें इस तथ्य के आधार पर वापस ले लेना चाहिए कि न्यून लागत कैरियरों के साथ अधिकांश कैरियरों ने इन छोटे मार्गो पर ए टी आर तथा अन्य लघु विमान प्रारंभ किए है जो वित्तीय तौर पर प्राधिकरण पर भारी पड रहा है । यह भी उचित होगा कि सरकार, प्राधिकरण को अपनी प्रमुख पूंजीगत परियोजनाओं में राशि लगाने के लिए ब्याज मुक्त बाण्ड लाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करें । अन्ततः हालांकि प्राधिकरण ने वर्ष 2010–11 में उत्कृष्ट कार्य किए है तथापि प्राधिकरण द्वारा विमानन क्षेत्र में बाजार अग्रणी के रुप में अपनी स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने व अन्य हवाई अड्डा प्रचालकों को परामर्श देने हेतु स्वयं को सक्षम बनाने के लिए अनेक कार्य किए जाने अपेक्षित है ।

बोर्ड के सदस्य

वर्ष के दौरान बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 6 अक्टूबर, 2010 के अपने पत्र सं0 ए वी 24011/01/2010–एएआई के अनुसार श्री वी. सोमासुन्दरम, कार्यपालक निदेशक, भा0 वि0 प्रा0 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अन्य आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, सदस्य (वैमानिक दिक्चालन सेवाएं) के रुप में नियुक्त किया है । श्री सोमासुन्दरम ने 8 अक्टूबर, 2010 को सदस्य (वैमानिक दिक्चालन सेवाएं) के रुप में पदभार ग्रहण किया । नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 के पत्र सं0 ए वी 24011/06/2009–एएआई के अनुसार श्री जी. के. चौकियाल, कार्यपालक निदेशक, भा0 वि0 प्रा0 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक अथवा अन्य आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, सदस्य (प्रचालन) के रुप में नियुक्त किया गया है । श्री चौकियाल ने 21 अक्टूबर, 2010 को सदस्य (प्रचालन) के रुप में पदभार ग्रहण किया ।

31 मार्च, 2011 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1. श्री वी. पी. अग्रवाल – अध्यक्ष
2. श्री ई. के. भारत भूषण – अंशकालिक सदस्य
3. श्री आलोक सिन्हा – अंशकालिक सदस्य
4. श्री एस. सी. छतवाल – सदस्य (वित्त)
5. श्री के. के. झा – सदस्य (मानव संसाधन)
6. श्री एस. रहेजा – सदस्य (योजना)
7. श्री वी. सोमासुन्दरम – सदस्य (वैमानिक दिक्चालन सेवाएं)
8. श्री जी. के. चौकियाल – सदस्य (प्रचालन)
9. श्री दीपक पारीख – अंशकालिक – गैर सरकारी सदस्य
10. श्री सज्जन जिंदल – अंशकालिक – गैर सरकारी सदस्य
11. श्री अरुण लक्ष्मण बोंगिरवार – अंशकालिक गैर सरकारी सदस्य

दिनांक 31–3–2011 के पश्चात सदस्य बोर्ड के गठन में परिवर्तनः–

श्री एस. सी. छतवाल ने 30.04.2011 को सदस्य (वित्त) का अपना कार्यकाल पूरा किया। नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 02 मई, 2011 के पत्र सं० एवी–24011/05/2005–एएआई के अधीन निदेश दिए कि श्री वी सोमासुन्दरम, सदस्य (ए एन एस), अगले आदेशों तक सदस्य (वित्त) के पद का अतिरिक्त कार्य भार संभालेंगे। बोर्ड, श्री एस. सी. छतवाल द्वारा अपने कार्यकाल में सदस्य (वित्त) के रुप में प्रदान की गई अमूल्य सेवाओं की सराहना करता है।

आभार प्रदर्शन :

प्राधिकरण, कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए सद्भावना पूर्ण प्रयासों तथा योगदान की सराहना करता है ।

प्राधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय, डी0 जी0 सी0 ए0, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइन्स एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा दिए गए समर्थन तथा सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है । प्राधिकरण, सभी क्षेत्रों के अपने क्रियाकलापों में बैंकॉक स्थित इकाओ के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मांट्रियल स्थित इकाओ मुख्यालय द्वारा दिए गए समर्थन व सहयोग की सराहना करता है ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से

वि०प्र० अग्रवाल

(वि.पी. अग्रवाल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.9.2011

अनु. जाति/अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अशक्त कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

अनु. जाति, अनु. जनजाति व पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व

कर्मचारियों की कुल सं0	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल सं0	अनुसूचित जाति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल सं0	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल सं0	अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की कुल सं0	अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिशत
18243	4171	22.86	1188	6.51	2205	12.08

अनु. जाति, एवं अनु. जनजाति, के लिए छूट व रियायतः

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन निर्धारित अनेक रियायते व छूट दी जा रही है । इन दो श्रेणियों में रिक्तियों को भरने के लिए समय समय पर विशेष भर्ती अभियान भी चलाया गया है ।

अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व :

कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अशक्त व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

कर्मचारियों की कुल सं0	दृश्य अशक्तता	श्रव्य अशक्तता	शारीरिक अशक्तता	अशक्त कार्मिकों की कुल संख्या	अशक्त कार्मिकों का कुल प्रतिशत
18243	27	20	170	217	1.18

प्रमुख हवाई अड्डों पर अशक्त कार्मिकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं

(i) हवाई अड्डों पर शहरी ओर तथा विमान की ओर टर्मिनल भवन में शारीरिक रुप से अशक्त कार्मिकों के लिए रैम्प व आपातकालीन सेवा हेतु पहिए वाली कुर्सी (फ्री व्हील चेयर) की व्यवस्था ।

(ii) प्रत्येक सुविधा क्षेत्र में उपयुक्त संकेतों के साथ शारीरिक रुप से अशक्त कार्मिकों के लिए शौचालय व पहिए वाली कुर्सी के निर्बाध रुप से आने–जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था ।

(iii) अशक्त कार्मिकों की पहिए वाली कुर्सी (व्हील चेयर) को कमिशरी ट्रक में चढाने तथा दूर खड़े विमान तक लाने व ले जाने के लिए एयरसाइड में एक अलग रैम्प व एक लोडिंग डॉक उपलब्ध कराया गया ।

(iv) अशक्त व्यक्तियों के लिए पी सी ओ बूथों का नियतन तथा अपने वाहन चलाने वाले अशक्त यात्रियों के लिए विशेष तौर पर निर्धारित किए गए पार्किंग स्थल ।

(v) हवाई अड्डों पर बैरियर मुक्त बुकिंग सुविधाओं व सुरक्षा जाँच संबंधी क्षेत्रों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा जाँच क्षेत्रों से पहिए वाली कुर्सियां (व्हील चेयर) आसानी से आ–जा सकें ।

(vi) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आप्रवास संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु अशक्त कार्मिकों के लिए अनुकूल आप्रवास काउंटर तैयार किया जा रहा है ।

डॉ. एस. एन. ए. जैदी सचिव, नागर विमानन द्वारा छठी ए सी आई एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सभा के सम्मेलन व प्रदर्शनी का उद्घाटन

अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. माननीय नागर विमानन मंत्री श्री प्रफुल पटेल को वर्ष 2009–10 का लाभांश चैक प्रदान करते हुए

अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने पर भा. वि. प्रा. कर्मी के पुत्र शतरंज ग्रैंड मास्टर श्री परिमार्जन नेगी का नागर विमानन मंत्री श्री प्रफुल पटेल द्वारा अभिनंदन

श्री एम. माधवन नाम्बियार, सचिव, नागर विमानन द्वारा सतर्कता जागरुकता सप्ताह का उद्घाटन

निगमित सामाजिक दायित्व पहल के अन्तर्गत पेक्यांग सिक्किम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र

वित्तीय स्थिति

2010-2011

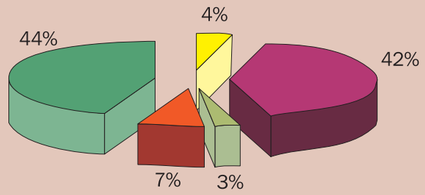

2009-2010

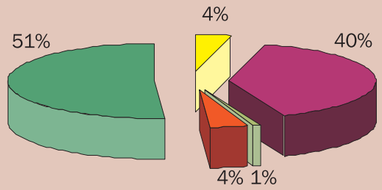

पूंजी
आरक्षित एवं अधिशेष
पूंजीगत अनुदान
उधार
चालू देयताएं एवं प्रावधान

हमारी देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
पूंजी	655.61	623.34
आरक्षित एवं अधिशेष	6960.97	6510.97
पूंजीगत अनुदान	440.80	158.27
उधार	1225.24	671.94
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7409.79	8306.22
योग	**16692.41**	**16270.74**

वित्तीय स्थिति

2010-2011

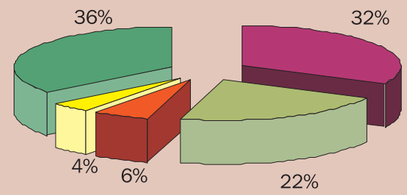

2009-2010

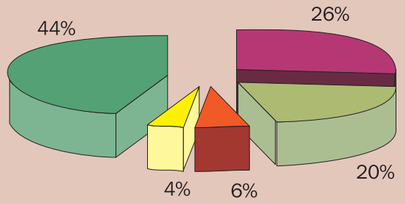

स्थिर आस्तियां (शुद्ध)
प्रगतिमान कार्य
निवेश
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)
चालू आस्तियां

हमारे स्वामित्व में

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
स्थिर आस्तियां (शुद्ध)	**5360.15**	4315.97
प्रगतिमान कार्य	**3747.52**	3185.94
निवेश	**976.14**	921.52
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	**667.36**	572.09
चालू आस्तियां	**5941.24**	7275.22
योग	**16692.41**	16270.74

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

विवरण	इकाई	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
धन के स्त्रोत						
प्रदत्त पूंजी	₹ करोड़ में	**655.61**	623.34	573.76	501.13	463.63
भारत सरकार से प्राप्त ऋण	"	**440.80**	158.27	138.93	13.28	-
प्रारंभिक पूंजी का ऋण भाग	"	**32.28**	49.57	27.62	17.50	15.00
अन्य ऋण	"	**1192.96**	622.37	202.43	43.35	50.28
आरक्षित और अधिशेष	"	**6960.97**	6510.97	5650.91	5286.58	4381.76
	योग	**9282.62**	7964.52	6593.64	5861.84	4910.67
धन का उपयोग						
स्थिर आस्तियां (मूल्यह्रास घटाकर)	₹ करोड़ में	**5360.15**	4315.97	3544.14	2774.25	2160.51
प्रगतिमान कार्य	"	**3747.52**	3185.94	1996.43	1380.12	838.55
निवेष	"	**976.14**	921.52	854.09	469.91	157.48
कार्यशील पूंजी	"	**(1468.55)**	(1031.00)	(313.60)	832.04	1467.18
आस्थिगित कर आस्तियां (शुद्ध)	"	**667.36**	572.08	512.58	405.52	286.95
	योग	**9282.62**	7964.52	6593.64	5861.84	4910.67
आय और लाभ						
राजस्व	₹ करोड़ में	**5139.21**	4615.29	4185.95	4289.21	3726.23
व्यय	"	**3792.92**	3386.85	3070.23	2549.84	2196.90
कर पूर्व लाभ	"	**1346.29**	1228.44	1115.73	1739.37	1529.33
कर हेतु प्रावधान	"	**566.90**	575.65	535.57	776.07	775.99
आस्थिगित कर देयता (आस्तियां) हेतु प्रावधान	"	**(67.00)**	(59.50)	(107.06)	(118.57)	(106.51)
कर पश्चात लाभ	"	**846.39**	712.29	687.21	1081.87	859.85
विनियोजन						
सामान्य कोष	₹ करोड़ में	**389.77**	327.68	315.88	497.23	351.24
विशिष्ट आरक्षित	"	**259.85**	218.44	210.58	331.49	309.16
लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	"	**169.30**	142.50	137.40	216.38	172.00
लाभांश पर कर	"	**27.47**	23.67	23.35	36.77	27.45
	योग	**846.39**	712.29	687.21	1081.87	859.85
शुद्ध निवेश (शेयरपूंजि + सामान्य कोष + विशेष आरक्षित)	₹ करोड़ में	**7616.58**	7134.31	6209.56	5409.21	4542.99
नियोजित पूंजी (शुद्ध स्थिर आस्तियां + कार्यशिल पूंजी)	"	**3891.60**	3285.00	3230.54	3606.29	3627.69
चालू आस्तियां	"	**5941.24**	7275.22	6763.17	7053.16	6341.57
चालू दायित्व एवं प्रावधान	"	**7409.79**	8306.22	7076.77	6221.12	4874.39
कार्यशील पूंजी	"	**(1468.55)**	(1031.00)	(313.60)	832.04	1467.18

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

विवरण	इकाई	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
अन्य स्थितियां						
स्थिर आस्तियों में वृद्धि	₹ करोड़ में	**1920.24**	1479.17	1291.45	1134.80	636.61
प्रावधान को छोड़कर विविध देनदार	"	**1021.98**	815.35	827.01	634.47	517.37
तैनात कर्मचारियों की सं.	संख्या	**18243**	18514	19573	19108	19545
विमान संचलन	संख्या ' 000s	**1393**	1331	1306	1308	1075
यात्री आवागमन (**)	"	**59642**	51132	44262	67036	57003
संभाला गया कार्गो (**)	टन में ' 000s	**727**	590	499	748	756
अनुपात						
शुद्ध निवेशित पूंजी के कर के बाद लाभ	प्रतिशत	**11**	10	11	20	19
विनियोजित पूंजी से कर के पूर्व लाभ	"	**35**	37	35	48	42
विनियोजित पूंजी से कर के बाद लाभ	"	**22**	22	21	30	24
विनियोजित पूंजी पर टर्नओवर	"	**132**	140	130	119	103
चालू अनुपात	अनुपात	**0.80:1**	0.88:1	0.95:1	1.13:1	1.31:1
कुल राजस्व पर कर पूर्व लाभ	प्रतिशत	**26**	27	27	41	41
कुल राजस्व पर कर बाद लाभ	"	**16**	15	16	25	23
औसत ऋण संग्रह अवधि	दिनों में	**156**	152	170	156	152
प्रति कर्मचारी विमान संचालनों की संख्या	संख्या	**76**	72	67	68	55
प्रति कर्मचारी राजस्व	₹ '000 में	**2817**	2493	2139	2245	1906
प्रति कर्मचारी राजस्व व्यय	₹ '000 में	**2079**	1829	1569	1334	1124
वार्षिक योजना						
योजना परिव्यय	₹ करोड़ में	**3610.00**	3244.96	3377.10	1961.41	1506.44
वास्तविक पूंजी व्यय	"	**2503.12**	2742.54	2547.52	1980.23	1040.11
इस प्रकार वित्त पोषित है :						
उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधन ^	"	**1860.88**	1985.64	2179.27	1803.31	990.49
पूर्वोत्तर परिषद अनुदान	"	**26.19**	70.00	60.00	57.05	7.00
सरकार से प्राप्त हुई बजटीय सहायता	"	**64.55**	99.15	100.25	55.00	29.00
बजटीय अनुदान		**251.50**	–	–	–	–
एमओडी/एपी सरकार से प्राप्त निधि	"	**–**	–	–	14.87	12.62
डी.जी.सी.ए द्वारा वित्त पोषित निधि	"	**–**	9.95	58.00	50.00	–
वाणिज्यिक उधार	"	**300.00**	550.00	150.00	–	–
अन्य	"	**—**	27.80	—	—	1.00
	योग	**2503.12**	2742.54	2547.52	1980.23	1040.11

(**) जेवीसी एवं प्राइवेट हवाई अड्डों को छोड़कर

(^) कार्यशील पूंजी के समायोजन उपरांत

31 मार्च 2011 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

देयताएं	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2010–11	पिछला वर्ष 2009–10
पूंजीगत लेखा	ए	**65561.15**	62333.65
आरक्षित एवं अधिशेष			
(i) आरक्षित पूंजी		**1510.36**	1510.36
(ii) सामान्य आरक्षित		**486799.27**	467784.55
(iii) अन्य आरक्षित			
स्थायी आस्तियां प्रतिस्थापन आरक्षित		**118913.45**	105920.99
आरक्षित अप्रचलन		**44436.90**	37940.67
आरक्षित आकस्मिकता		**44436.90**	37940.67
पूंजीगत अनुदान	बी	**44079.72**	15826.84
ऋण	सी		
(i) सुरक्षित		**60000.00**	30000.00
(ii) असुरक्षित		**62523.89**	37194.41
चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(i) देयताएं	डी	**225320.79**	260323.94
(ii) प्रावधान	इ	**515658.14**	570297.60
	योग	**1669240.57**	1627073.68
आकस्मिक देयताएं	एस		
लेखों पर टिप्पणियाँ	टी		
लेखा नीतियां	यू		
सेगमेंट इंफॉरमेशन	वी		

अनुलग्नक ए से वी तक संलग्न अनुलग्नक तुलनपत्र पर लाभ–हानि लेखे का अभिन्न हिस्सा है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.7.2011

(एम० सी किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(एस. सुरेश)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च 2011 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

आस्तियां	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2010–11	पिछला वर्ष 2009–10
स्थिर आस्तियां			
(i) सकल ब्लॉक		**1223869.36**	1031821.24
घटाइये : मूल्य ह्रास		**687854.47**	600224.29
शुद्ध ब्लॉक	एफ	**536014.89**	431596.95
(ii) प्रगतिशील पूंजीगत (शुद्ध)		**374752.32**	318594.15
निवेश	जी	**97613.90**	92152.40
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		**66735.59**	57207.89
चालू आस्तियां			
(i) भंडार एवं कलपुर्जे		**9263.43**	6542.19
(ii) विविध देनदार	एच	**102198.61**	81535.28
(iii) रोकड़ तथा बैंक शेष	आई	**10620.97**	36206.51
(iv) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम	जे	**450011.45**	581859.01
(v) निवेशों / निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज		**57.94**	29.64
(vi) पूर्वदत्त व्यय		**503.36**	542.58
(vii) प्रोद्भूत आय परन्तु देय नहीं		**21468.11**	20807.08
	योग	**1669240.57**	1627073.68

(वी० सोमासुन्दरम)
सदस्य (वित्त)

(वी० पी० अग्रवाल)
अध्यक्ष

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

(₹ लाख में)

व्यय	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2010–11	पिछला वर्ष 2009–10
वेतन तथा भत्ते	के	**126376.61**	134420.56
अन्य स्टाफ लागत	एल	**39132.11**	26862.08
प्रचालन व्यय	एम	**96810.37**	78598.90
अन्य प्रशासनिक एवं फुटकर व्यय	एन	**18661.50**	22085.64
मूल्यह्रास		**89335.86**	73774.66
वित्तीय प्रभार	ओ	**1114.70**	792.52
प्रावधान			
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**4496.19**	1689.06
आयकर के लिए प्रावधान			
a) चालू कर			
(i) निगमित आय कर		**56600.00**	57500.00
(ii) अन्य		**90.00**	65.00
b) आस्थिगित कर		**(6700.00)**	(5949.73)
असाधारण मदे	पी	**–**	–
पिछली अवधि के समायोजन (शुद्ध)	क्यू	**3364.47**	462.05
लाभ–हानी विनियोजन लेखा में ले जाया गया शुद्ध लाभ		**84638.75**	71228.60
	योग	**513920.56**	461529.34

वित्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा द्वारा पूंजीगत समान, कलपूर्जे, विदेश यात्रा, परामर्शी सेवाओं, विदेशी ऋणों एवं ब्याज चुकाने तथा अन्य पर व्यय ₹ 192.66 करोड़ रूपये था।

एम. सी. किशोर (signature)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.7.2011

(एम० सी० किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(एस. सुरेश)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

(₹ लाख में)

आय	अनुलग्नक	चालू वर्ष 2010–11	पिछला वर्ष 2009–10
यातायात राजस्व			
मार्ग दिक्चालन सुविधाएं प्रभार		**166406.96**	151025.37
अवतरण शुल्क		**36828.71**	33231.68
पार्किंग एवं हाउसिंग शुल्क		**1093.95**	1095.42
टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार		**28859.38**	27232.13
यात्री सेवा शुल्क		**62631.33**	53879.47
गैर यातायात राजस्व			
सार्वजनिक प्रवेश शुल्क		**1451.73**	1586.60
व्यापार रियायतें		**36891.92**	33197.82
किराया एवं सेवाऐं		**25332.68**	23569.13
कार्गो राजस्व		**22928.39**	17624.70
हवाई अड्डों को पट्टे पर देने से प्राप्त आय		**104635.38**	94097.18
अन्य विविध आय	आर	**26860.13**	24989.84
	योग	**513920.56**	461529.34

(वी० सोमासुन्दरम)
सदस्य (वित्त)

(वी० पी० अग्रवाल)
अध्यक्ष

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि विनियोजन लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010–11	पिछला वर्ष 2009–10
विनियोजन		
लाभांश		
– अंतरिम	-	-
– प्रस्तावित	**16,930.00**	**14,250.00**
लाभांश पर कर		
– अंतरिम	-	-
– प्रस्तावित	**2,746.47**	**2,366.75**
विशिष्ट आरक्षित को स्थानान्तरित		
स्थिर आस्तियाँ एवजी आरक्षित	**12,992.46**	**10,922.37**
आकस्मिक आरक्षित	**6,496.23**	**5,461.19**
अप्रचलन आरक्षित	**6,496.23**	**5,461.19**
सामान्य आरक्षित को स्थानान्तरित	**38,977.36**	**64,161.77**
योग	**84638.75**	**102623.27**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.7.2011

(एम० सी० किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(एस. सुरेश)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि विनियोजन लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010–11	पिछला वर्ष 2009–10
लाभ–हानि लेखा से लाया गया शुद्ध लाभ	**84638.75**	**71228.60**
प्रावधानों एवं अन्यों से स्थानान्तरित	**–**	**31394.67**
योग	**84638.75**	**102623.27**

(वी० सोमासुन्दरम)
सदस्य (वित्त)

(वी० पी० अग्रवाल)
अध्यक्ष

अनुलग्नक–"ए"

पूंजीगत लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
1. वर्ष के आरम्भ में शेष	**62333.65**	57375.65
2. वर्ष के दौरान वृद्धि	**3227.50**	4958.00
योग	**65561.15**	**62333.65**

अनुलग्नक–"बी"

पूंजीगत अनुदान

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
निम्नलिखित से प्राप्त अनुदान		
1. केन्द्रीय सरकार	**42074.74**	13821.86
2. अन्य	**2004.98**	2004.98
योग	**44079.72**	**15826.84**

अनुलग्नक–"सी"

ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
क. सुरक्षित ऋण		
₹ 10,00,000/– प्रति मूल्य के 7.40% सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय क्षतिपूर्ति बांड 2013 (श्रेणी 1) जनवरी 22,2010 को आबंटन की तिथि से तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति के समतुल्य है (बांड समरुपता के आधार पर सुरक्षित है। यह हवाई अड्डा परिसर, अहमदाबाद छावनी, जिसका सर्वे संख्या मौजे सरदारनगर तथा होसूल, शहर तालूका पर उपलब्ध गैर–कृषि भूमि को प्रभारित अथवा पार्सल द्वारा दिया जाएगा)	**30000.00**	30000.00
₹ 10,00,000/– प्रति मूल्य के 7.40% सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय क्षतिपूर्ति बांड 2016 (श्रेणी 1) फरवरी 22,2011 को आबंटन की तिथि से पांचवे वर्ष की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति के समतुल्य है (बांड समरुपता के आधार पर सुरक्षित है। यह विभिन्न राजस्व जिसका सर्वे संख्या होसूल, शहर तालूका पर उपलब्ध गैर–कृषि भूमि को प्रभारित अथवा पार्सल द्वारा दिया जाएगा)	**30000.00**	–
ख. असुरक्षित ऋण		
(1) अधिनियम की धारा 23 (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया	**3227.50**	4957.00
(2) अन्य		
क. बैंको से आवधिक ऋण**	**55000.00**	27780.00
ख. अन्य ऋण	**400.00**	400.00
ग विदेशी ऋण		
(1) विदेशी वित्तीय संस्थाओं से (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत)	**3896.39**	4057.41
योग	**122523.89**	67194.41

**अल्पावधि ऋण (एक वर्ष के भीतर देय अथवा प्रतिदेय)

अनुलग्नक–"डी"

चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
निम्नलिखित हेतु देयता :		
माल की आपूर्ति/किये गये कार्य–पूंजी	**44038.82**	33090.66
माल की आपूर्ति/किये गये कार्य–राजस्व	**5213.77**	4541.16
वेतन एवं भत्ते तथा अनुग्रह राशि	**29279.35**	90529.09
भविष्य निधि	**392.02**	(1304.13)
निगम कर	**4878.49**	4656.74
प्रेषण प्रतीक्षाधीन वसूलियाँ	**4251.73**	3166.54
हितकार निधि	**1002.28**	1298.37
मौसम विभाग व्यय	**5482.79**	4422.66
अन्य व्यय	**31762.94**	27883.76
फुटकर लेनदार	**1452.37**	1910.30
परिसमाप्त क्षतियां	**4311.43**	4902.18
एंटी हाईजैकिंग व्यय	**15301.79**	13060.90
लंबित कार्य कर प्रेषण	**267.23**	462.87
सीआईएसएफ व्यय	**5143.15**	5285.61
प्रतिभूति निक्षेप, जमानत जमा निक्षेप	**25249.23**	21327.17
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं :		
- भारतीय ऋण	**972.23**	692.90
- विदेशी ऋण	**0.08**	0.11
अग्रिम रूप से प्राप्त आय किन्तु अदेय	**1656.33**	1648.65
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**5583.10**	6126.74
निक्षेप कार्यों के लिए निक्षेप	**6439.80**	4974.89
विविध जमा राशियां	**6711.93**	4679.63
जेवीसी से अपफ्रंट फीस	**25929.93**	26967.13
योग	**225320.79**	260323.94

अनुलग्नक–"ई"

प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
कर		
(i) आयकर	**317407.91**	374972.34
(ii) अनुषंगी लाभकर	**4573.11**	5900.00
(iii) अन्य	**90.00**	74.29
प्रस्तावित लाभांश	**16930.00**	14250.00
लाभांश पर कर	**2746.47**	2366.75
उपदान व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	**129246.53**	128105.32
अन्य	**44664.12**	44628.89
योग	**515658.14**	570297.60

अनुलग्नक–"एफ"

स्थिर आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्य ह्रास की दर %	सकल ब्लॉक 1.04.2010 को	स्थानांतरण सहित जोड़े गये	स्थानांतरण सहित समायोजन, विलोपन	31.03.2011 तक	मुल्यह्रास 1.04.2011 तक प्रदत्त	वर्ष के दौरान प्रदत्त	विक्रय/ स्थानांतरण का समायोजन	कुल 31.03.2011 तक	शुद्ध ब्लॉक 31.03.2011 को	31.03.2010 को
भूमि											
फ्रीहोल्ड		19729.09	2430.45	1521.00	20638.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20638.55	19729.09
लीहोल्ड		139.30	0.00	0.00	139.30	15.48	1.87	0.00	17.35	121.95	123.82
धावन पथ, टैक्सीपथ, एप्रन, सड़के पुल और पुलिया	13	266847.91	43065.96	9942.26	299971.61	156731.39	28631.75	0.00	185363.14	114608.47	110116.52
फ्रीहोल्ड भवन											
क) टर्मिनल/अन्य भवन	8	218411.78	112460.54	10462.65	320409.68	96068.58	22118.85	993.44	117121.88	203287.79	122343.20
ख) अस्थायी भवन	100	2521.15	589.59	277.54	2833.20	2519.78	484.45	153.25	2831.82	1.37	1.37
ग) रिहायशी	5	21846.98	1074.40	1377.95	21543.44	8021.70	984.39	791.52	8305.83	13237.61	13825.28
घ) अन्य	8	14463.14	2122.73	1929.64	14656.24	8790.75	852.09	156.20	9486.64	5169.60	5672.38
लीजहोल्ड भवन	8	304.49	292.18	292.18	304.49	304.49	0.00	0.00	304.49	0.00	0.00
सुरक्षा फेंसिंग	100	3949.57	184.90	105.65	4028.82	3949.57	86.42	7.17	4028.82	0.00	0.00
बाउन्ड्री वाल (प्रचालन)	8	18170.05	1664.55	1195.66	18638.94	7503.83	1380.94	12.06	8872.71	9766.22	10666.21
बाउन्ड्री वाल (रिहायशी)	5	791.83	37.32	8.74	820.41	244.98	44.77	0.00	289.75	530.66	546.85
संयंत्र और मशीनरी	11	184432.17	11841.73	2121.72	194152.18	140168.15	9899.87	216.11	149851.92	44300.27	44264.02
औजार एवं उपस्कार											
एक्स–रे बैगेज मशीनें	11	25484.79	519.56	465.06	25539.30	14544.61	2184.88	120.37	16609.12	8930.18	10940.18
अन्य	20	12815.45	678.13	450.66	13042.92	10584.70	865.77	93.22	11357.25	1685.67	2230.75
फर्नीचर और फिक्चर	20	13505.08	1962.84	684.61	14783.31	11067.81	1340.30	43.39	12364.71	2418.60	2437.27
कम्प्यूटर आई टी हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज	20	13307.03	2355.89	1316.87	14346.05	10585.77	1328.80	0.00	11914.57	2431.48	2721.26
अमूर्त परिसंपत्तियां–कम्प्यूटर सॉफ्टर	20	3175.48	861.58	150.43	3886.63	1833.99	743.20	0.00	2577.18	1309.45	1341.50
वाहन											
क्रैश फायर टेंडर व फायर फाइटिंग उपस्कर	13	31940.08	5915.05	1370.84	36484.29	19213.95	3218.91	59.16	22373.70	14110.59	12726.12
अन्य	14	6558.60	544.12	358.17	6744.56	5079.04	464.46	170.68	5372.82	1371.74	1479.57
विमान	10	14625.57	0.00	0.00	14625.57	9793.52	908.36	0.00	10701.87	3923.69	4832.05
विद्युत प्रतिष्ठान	11	155683.96	44934.39	7616.41	193001.95	90575.00	15727.86	1014.05	105288.81	87713.13	65108.96
अन्य कार्यालय उपकरण	18	3107.38	306.07	145.87	3267.58	2616.85	212.77	19.89	2809.73	457.86	490.53
पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	100	10.36	0.00	0.00	10.36	10.36	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00
योग		**1031821.24**	**233842.01**	**41793.88**	**1223869.36**	**600224.29**	**91480.70**	**3850.52**	**687854.47**	**536014.89**	**431596.95**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**883903.82**	**155889.76**	**7972.35**	**1031821.24**	**529490.30**	**75126.96**	**4392.97**	**600224.29**	**431596.95**	

उपर्युक्त परिसम्पत्तियों में से, परिसम्पत्तियां (सकल ब्लॉक ₹ 1931.30 लाख एवं शुद्ध वसूलनीय मूल्य – ₹ 43.96 लाख) अर्थात कम्प्यूटर (सकल ब्लॉक – 127.16 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य– ₹ 0.00 लाख) संयंत्र तथा उपस्कर (सकल ब्लॉक – ₹ 454.99 लाख शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य – ₹ 1.16 लाख) औजार तथा संयंत्र (सकल ब्लॉक – ₹ 11.23 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य ₹ 0.09 लाख) सीएफटी के अतिरिक्त अन्य वाहन (सकल ब्लॉक – ₹ 238.22 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य ₹ 14.24 लाख) वाहन कार/जीप (सकल ब्लॉक ₹ 184.24 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य – ₹ 20.70 लाख) वैद्युत प्रतिष्ठान (सकल ब्लॉक ₹ 120.81 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य – ₹ 7.72 लाख) फर्नीचर एवं फिक्सचर (सकल ब्लॉक – ₹ 5.44 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य – ₹ 0.00 लाख) अन्य कार्यालय उपकरण (सकल ब्लॉक – ₹ 20.63 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य – ₹ 0.00 लाख) एक्स–रे वैगेज (सकल ब्लॉक – ₹ 98.27 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य – ₹ 0.06 लाख) अग्निशमन उपकरण एवं सी एफ टी (सकल ब्लॉक – ₹ 870.30 लाख तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य – ₹ 0.00 लाख) सक्रिय उपयोग में नहीं है। इस प्रकार की आस्तियों पर लेख पुस्तिकाओं में मूल्यह्रास की कटौती नहीं की गयी है।

अनुलग्नक–"जी"

निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)		
क. व्यापार निवेश (उद्धृत नहीं) संयुक्त उद्यम कम्पनियों में		
हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एच आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (₹ 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 4,91,40,000 इक्विटी शेयर)	**4914.00**	4914.00
बैंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बी आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (₹ 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 4,91,40,000 इक्विटी शेयर)	**4999.80**	4999.80
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डी आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (₹ 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 63,70,00,000 इक्विटी शेयर व शेष शेयर एप्लीकेशन राशि आवंटन हेतु लंबित है)	**63700.00**	63700.00
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एम आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (₹ 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 2,80,00,000 इक्विटी शेयर)	**20800.00**	15600.00
नेशनल फ्लाइंग स्कूल (गोंदिया) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (₹ 10/– प्रति मूल्य के पूर्ण भुगतान किए गए 2,64,86,521 इक्विटी शेयर)**	**2359.29**	2097.79
मिहान इंडिया प्रा. लिमिटेड की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन धन के लिए)	**490.00**	490.00
ख. गैर व्यापारिक निवेश–अन्य (उद्धृत नहीं)		
आई डी बी आई की निवेश जमा खाता योजना 1986	**350.81**	350.81
योग	**97613.90**	92152.40

** आबंटित किए गए शेयरों में से 28,93,353 शेयर पुस्तक मूल्य पर मैसर्स पवन हंस लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए

अनुलग्नक–"एच"

विविध देनदार

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
विविध देनदार		
(1) 6 महिने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**118347.39**	102743.86
(2) अन्य	**50441.91**	40961.28
कुल योग	**168789.30**	143705.14
घटा : डूबि एवं संदिग्ध रकम हेतु प्रावधान	**66590.69**	62169.86
विविध देनदारी (शुद्ध)	**102198.61**	81535.28
<u>विविध देनदारों के विवरण</u>		
(क) ऋण जो खरे हैं तथा जिनके प्रति प्राधिकरण पुर्णतः प्रतिभूत है।	**48765.18**	39048.48
(ख) ऋण जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके लिए प्राधिकरण के पास देनदार की निजी जमानत के अतिरिक्त कोई प्रतिभूत नहीं है।	**53433.43**	42486.80
(ग) ऋण जो खरे नहीं हैं तथा जिनका प्रावधान किया गया है।	**66590.69**	62169.86
योग	**168789.30**	143705.14

अनुलग्नक–"आई"

रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
रोकड़ एवं स्टैम्प्स	**68.03**	94.12
हस्तगत चैक	**952.13**	6468.02
मार्गस्थ प्रेषण	**326.50**	872.99
बैंकों में अवधि जमा		
(i) एक वर्ष तक जमा	**608.59**	569.37
(ii) एक वर्ष से अधिक तक जमा	**--**	–
चालू खाते में बैंक शेष	**8456.48**	28037.59
विदेशी मुद्रा विनियम अर्जन खाता	**209.24**	164.43
योग	**10620.97**	36206.51

नोट :

1. अनुसूचित बैंकों के चालू खातों, कॉल खातों तथा निक्षेप खातों में शेष राशि ₹ 9274.31 लाख है।
2. अनुसूचित बैंक के अलावा अन्य बैंकरों के नाम के विवरण तथा प्रत्येक के पास चालू खाते, कॉल खाते में शेष राशि तथा प्रत्येक बैंकर के पास वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष राशि निम्नानुसार है :– शून्य
3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित बैंकरों (अनुसूचित बैंकों से अन्य) के किसी सदस्य अथवा रिश्तेदार के हित यदि कोई हो :– शून्य

अनुलग्नक–"जे"

निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
स्टाफ	**21539.14**	27706.42
खरीद हेतु अग्रिम	**636.27**	862.41
अन्य अग्रिम	**28019.30**	43066.97
अग्रिम आयकर		
(i) निगमित आय कर	**44401.71**	104325.23
(ii) अनुषंगी लाभ कर	**4941.73**	6268.62
(iii) अन्य	**6692.67**	7630.96
स्त्रोत पर कर कटौती	**311029.72**	340295.10
राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा	**8324.76**	7486.57
अन्य निक्षेप	**24426.15**	44216.72
योग	**450011.45**	581859.01
निक्षेप, ऋण एवं अग्रिमों का विवरण :		
(क) निक्षेप, ऋण व अग्रिम जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके प्रति प्राधिकरण पूर्णतः सुरक्षित है।	**66290.61**	73891.07
(ख) निक्षेप, ऋण व अग्रिम जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके लिए प्राधिकरण के पास देनदार की निजी जमानत के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	**383658.21**	509209.44
(ग) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम जो संदेहास्पद हैं तथा जिनका प्रावधान किया है।	**62.63**	62.63

नोट : वर्ष के दौरान सदस्यों तथा अध्यक्ष को स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम निम्नानुसार है :–

(i) 31.03.2011 को अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा देय ऋण/अग्रिम व पेशगियां ₹ 6.65 लाख रुपये।

(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय सदस्यों/अध्यक्ष से अधिकतम देय राशि ₹ 7.10 लाख रुपये।

अनुलग्नक–"के"

वेतन और भत्ते

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
वेतन और भत्ते	**109636.53**	117829.77
भविष्य निधि अंशदान	**7066.21**	7839.66
ग्रेच्युटी	**1111.68**	3819.91
समयोपरी भत्ता	**3744.01**	3683.11
उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि	**2734.61**	2563.76
अन्य खर्चे	**3507.94**	45.67
घटा : जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**(1424.37)**	(1361.33)
योग	**126376.61**	134420.56

अनुलग्नक–"एल"

अन्य स्टाफ लागत

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	**10322.67**	6788.84
ईंधन/वाहन प्रतिपूर्ति	**3018.01**	3794.79
मानव संसाधन	**1382.89**	961.19
यूनीफार्म/वर्दी	**1359.92**	1794.26
अवकाश यात्रा रियायत	**2207.12**	1727.14
कैन्टीन सहायता खर्च	**2028.03**	1952.73
आवासीय भवन का किराया	**151.59**	252.81
अन्य खर्चे	**19168.94**	10161.55
घटा : जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**(507.06)**	(571.22)
योग	**39132.11**	26862.08

अनुलग्नक–"एम"

प्रचालन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
मरम्मत एवं रख–रखाव		
सिविल कार्य	**10514.29**	12202.58
विद्युत कार्य	**7119.33**	6211.49
वाहन	**713.78**	1343.16
संयंत्र एवं मशीनें	**196.18**	250.88
इलेक्ट्रानिकी	**3776.14**	1159.20
उपकरणों	**132.30**	102.49
भंडार एवं कलपूर्जों का उपभोग	**2640.30**	2075.75
विद्युत एवं जल प्रभार		
सकल प्रभार	**17402.97**	14477.88
घटा : वसूली	**(2622.89)**	(2105.15)
किराया, दर एवं कर	**689.55**	696.29
बीमा किस्त	**363.88**	223.50
विज्ञान एवं प्रचार	**375.83**	543.88
निगम कर	**1231.22**	2355.95
मौसम–विज्ञान संबंधी प्रभार	**5505.00**	4543.97
सुरक्षा व्यय		
(क) सी आई एस एफ पर व्यय	**41842.85**	30511.04
(ख) राज्य पुलिस एवं अन्य पर व्यय	**4860.85**	2309.45
अन्य प्रचालन खर्चे	**2068.79**	1696.54
योग	**96810.37**	78598.90

अनुलग्नक–"एन"

अन्य प्रशासनिक एवं विविध व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
निगमित कार्यालय का निम्नलिखित पर व्यय :		
(i) मरम्मत एवं रख–रखाव	**881.14**	678.15
(ii) बीमा किस्त	**31.67**	130.08
(iii) विद्युत एवं जल प्रभार	**225.62**	165.49
(iv) किराया, दर एवं कर	**26.09**	2.38
(v) विज्ञान एवं प्रचार	**968.52**	264.61
बोर्ड के सदस्यों का पारिश्रमिक	**99.74**	66.83
कानूनी व्यय	**471.17**	362.20
लेखा परीक्षा शुल्क	**439.59**	374.07
परामर्शी सेवाएं	**4.92**	1.01
डाक, तार, एवं टेलेक्स प्रभार इत्यादी	**74.19**	65.78
टेलिफोन, फैक्स, इंटरनेट प्रभार इत्यादी	**1602.52**	1527.63
मुद्रण और स्टेशनरी	**513.65**	570.32
लीज किराया	**138.63**	24.67
प्रदत्त सेवाओं के लिए अन्य को दिया गया शुल्क	**1700.84**	887.72
प्रशिक्षण खर्चे	**408.69**	404.88
भाड़ा प्रभार	**114.64**	75.64
यात्रा संबंधी खर्चे	**2208.16**	3520.68
अनुसंधान एवं विकास–विमानपत्तन विकास	**109.06**	60.63
बेची गई या रद्दी की गई आस्तियों पर हानि	**129.64**	499.94
विविध व्यय	**8513.02**	12414.34
घटा : जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**--**	(11.41)
योग	**18661.50**	22085.64

अनुलग्नक–"ओ"

वित्तीय प्रभार

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
ब्याज :		
(i) दीर्घकालिन ऋणों पर	**227.26**	480.87
(ii) अल्पावधि ऋणा/नकद ऋण	**887.44**	311.65
योग	**1114.70**	792.52

अनुलग्नक–"पी"

असाधारण व्यय/आय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
व्यय	--	--
आय	--	--
योग	--	--

अनुलग्नक–"क्यू"

पिछली अवधि के समायोजन (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण		चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
वयय			
वेतन और भत्ता		**(37.24)**	(1643.65)
अन्य कर्मचारी लागत		**56.62**	3.50
प्रचालन व्यय		**654.26**	901.89
अन्य प्रशासनिक व विविध व्यय		**7.54**	(335.86)
मूल्यह्रास		**2113.99**	1316.77
	योग	**2795.18**	242.65
आय			
ट्रैफिक राजस्व			
मार्ग दिक्चालन सुविधा		**(350.19)**	31.84
अवतरण शुल्क		**(47.13)**	(32.28)
पार्किंग तथा हाउसिंग फीस		**6.16**	(5.33)
टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार		**(38.49)**	(151.45)
यात्री सेवा शुल्क		**(106.56)**	7.96
	योग	**(536.21)**	(149.25)
गैर ट्रैफिक राजस्व			
व्यापारिक छूट		**44.16**	(144.58)
किराया व सेवाएं		**(56.02)**	144.09
	योग	**(11.86)**	(0.48)
कार्गो राजस्व		**(0.14)**	10.20
अन्य विविध आय		**(21.09)**	(79.87)
	योग	**(21.23)**	(69.67)
	कुल योग	**(569.30)**	(219.40)
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		**3364.47**	462.05

अनुलग्नक–"आर"

अन्य विविध आय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
आवधिक जमा पर ब्याज	**209.44**	734.93
परामर्शी सेवाओं से आय	**982.09**	601.61
कार पार्किंग	**4136.18**	3558.60
प्रयोगकर्ता विकास शुल्क	**8589.98**	552.02
परित्यक्त सामान सुविधाएं	**14.11**	16.27
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर लाभ	**333.02**	245.46
कर्मचारी पेशगियों पर ब्याज	**783.30**	708.16
ब्याज से अन्य आय	**4845.96**	885.97
विविध आय	**6966.05**	17686.82
योग	**26860.13**	24989.84

अनुलग्नक–"एस"

अन्य विविध आय

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पिछला वर्ष 2009-10
दावे जिनहें ऋण नहीं माना गया है :		
1. भूमि संबंधी मामले	**23569.34**	21896.76
2. दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति के दावे	**2843.87**	3910.10
3. माध्यस्थम मामले	**40414.62**	45332.77
4. कार्गो संबंधी दावे	**382.46**	1002.54
5. न्यायालयीन मामले	**6391.68**	5341.70
6. बिक्री कर/निगम कर/आयकर आदि	**51747.58**	66571.14
7. अन्य	**6677.50**	8885.68
योग	**132027.05**	152940.69

अनुलग्नक–"टी"

लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. लेखों का प्रारूप

भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों का विवरण) नियम 2008 के अधीन दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अधिसूचना सं0 800 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार लेखा प्रस्तुत किया गया है।

2. भूमि

(i) प्राधिकरण के स्वामित्व में 51498.43 एकड़ भूमि है जिसमें कार्व्ड आउट आस्तियों को छोड़कर सी एस आई, मुंबई हवाई अड्डा (1961.05 एकड़) और आई जी आई, नई दिल्ली हवाई अड्डा (4799.09 एकड़) की भूमि शामिल है जिन्हें संयुक्त उद्यम कम्पनियों को दीर्घावधि पट्टे पर सौंप दिया गया है यथा आई जी आई (दिल्ली) पर दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल) को और सी एस आई (मुंबई) हवाई अड्डा पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल) को। इसके अतिरिक्त भूमि के कुछ भाग (लगभग 726.11 एकड़), विभिन्न हवाई अड्डों पर अतिक्रमण के अधीन है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में स्वामित्व अधिकार पत्र हस्तांतरित करने के साथ ही भूमि रिकार्डों के संकलन तथा भूमि अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है।

(ii) रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य विभिन्न हवाई अड्डों की भूमि हस्तांतरित करने के संबंध में नियम व शर्तों का निर्धारण अभी किया जाना है। आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली पर 56.78 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय से ली गई थी और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ₹ 53.61 करोड़ के भुगतान का दावा किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ₹ 2 करोड़ का भुगतान कर दिया है। शेष राशि ₹ 51.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 51.61 करोड़) को आकस्मिक देनदारी के अधीन दिखाया गया है।

(iii) चेन्नई हवाई अड्डे के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु 5154.50 वर्ग मीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदान की गई तथा इसके लिए देय क्षतिपूर्ति पर सहमति बनाने व इसे निर्धारित करने का काम अभी शेष है। इसका निर्धारण हो जाने के बाद इसे लेखे में शामिल कर लिया जाएगा।

3. मूल्यह्रास

मूल्य–ह्रास, अचल आस्ति सूचि में दर्शाई गई दरों के अनुसार तकनीकी व उपयोगी जीवनावधि के आधार पर अचल आस्तियों पर लगाया जाता है।

4. आई जी आई (दिल्ली) और सी एस आई (मुंबई) हवाई अड्डों का प्रचालन, प्रबंधन एवम् विकास

(i) आई. जी. आई. हवाई अड्डा दिल्ली तथा सी एस आई हवाई अड्डा मुंबई के प्रचालन, प्रबंधन एवम् विकास का कार्य दिनांक 3 मई, 2006 से दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल) तथा मुंबई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल) को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर और 30 वर्ष की अवधि तक बढ़ाए जाने हेतु सौंपा गया है। अचल आस्तियां पट्टे पर डी आई ए पी एल तथा एम आई ए पी एल को दी गई हैं तथा उन्हें "अचल आस्तियों" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।
आस्तियों के संयुक्त पूंजी निवेश के संबंध में प्रचालन, प्रबंधन व विकास समझौते (ओ एम डी ए) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है। इन आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना इस प्रकार की आस्तियों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यह्रास नीति के अनुसार ही की गई है

(ii) आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली के आधुनिकीकरण के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों को (सकल ब्लाक ₹ 24.99 करोड़) मै. डी.आई.ए.पी.एल द्वारा ध्वस्त/निपटान किया गया। इसकी वजह से वर्ष के दौरान ₹ 0.72 करोड़ की धनराशि को स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि के रूप में दर्शाया गया है तथा संचित मूल्यह्रास सहित समस्त ब्लाक को खाता बही से वापस ले लिया गया है।

(iii) डी आई ए पी एल (₹ 577.26 करोड़) तथा एम आई ए पी एल (₹ 458.72 करोड़) से ₹ 1035.98 करोड़ के राजस्व भाग को "हवाई अड्डों की लीजिंग से आय" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

(iv) 3 साल की अवधि का प्रचालन समर्थन समय दिनांक 2 मई 2009 को समाप्त हो गया। वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा उन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 235.78 करोड़ (वित्तीय वर्ष 09–10 के दौरान भुगतान सहित) (एम आई ए पी एल को ₹ 123.07 करोड़ तथा डी आई ए पी एल को ₹ 112.71 करोड़) की धनराशि का भुगतान किया गया, जिन्होंने ओमड़ा की शर्तों के अनुसार आमेलन के विकल्प को नहीं चुना। इस धनराशि को वेतन एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी भुगतान के लिए निर्धारित किया जा रहा है।

(v) सेवा कर विभाग ने दिनांक 1.06.2009 व 21.01.2011 को जारी मांग–सह–कारण बताओ नोटिस द्वारा 3 मई, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक ओ एम डी ए के अधीन "नामाधिकार सेवा" शीर्ष के अन्तर्गत किए गए करार के अनुसार डी आई ए पी एल और एम आई ए पी एल से प्राप्त वार्षिक कर एवं अपफ्रंट राशि के रूप में संभवतः ₹ 288.53 करोड़ व ₹ 96.88 करोड़ (ब्याज व जुर्माने सहित) सेवा कर की मांग की है।
तथापि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा डी आई ए पी एल और एम आई ए पी एल से वार्षिक शुल्क व अपफ्रंट राशि पर सेवा कर प्राप्ति की अनुप्रयोज्यता पर) रोक आदेश दिया हुआ है।
यह मामला अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

(vi) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) तथा डी आई पी एल व एम आई ए पी एल के मध्य निष्पादित हुए राज्य सहयोग समझौते के प्रावधानों के अनुसार, ओ एम डी ए के निरस्त होने या समाप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरणीय आस्तियों तथा अहस्तांतरणीय आस्तियों की खरीद के संबंध में जे वी सी को भुगतान करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दायित्व के संबंध में भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जे वी सी को गारंटी उपलब्ध कराई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत सरकार को प्रति गारंटी दी है।

5. राजस्व

(i) एयर इंडिया (जो पहले इंडियन एयरलाइंस के नाम से था) के अतिरिक्त अन्य एयरलाइन से यात्री सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए यात्री डाटा के आधार पर बुक किया गया है। एयर इंडिया (जो पहले इंडियन एयरलाइंस के नाम से था) के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर उसको परिगणित किया गया।

(ii) वर्ष के दौरान नागर विमानन मंत्रालय/भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अमृतसर, अहमदाबाद, मंगलौर, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, विजाग, वाराणसी तथा उदयपुर हवाई अड्डों पर विमान में सवार यात्रियों पर प्रयोक्ता विकास शुल्क (यू डी एफ) लगाया गया। इसे विविध आय शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

6. व्यय

डी पी ई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर, कार्यपालकों को वेतन पैकेज के भाग के रुप में दिनांक 1.1.2007 से निष्पादन संबंधित वेतन (पी आर पी) देय है। पी आर पी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पी एम एस) से संबंधित है। पी आर पी के लिए चालू वर्ष के लेखों में 92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सेवा कर

(i) दिनांक 1.5.2006 से 31.3.2009 की अवधि के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा सेवाओं पर सेवा कर लगाए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय के निर्णय के लम्बित होने के कारण उक्त अवधि के लिए केन्द्रीय औद्यौगिक सुरक्षा बल द्वारा न तो सेवा कर का बिल बनाया गया और न ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उसका भुगतान किया गया तथा लेखों में इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई क्योंकि सरकार के प्रति अपनी सम्पूर्ण सेवा कर देयता को चुकाने से पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस प्रकार भुगतान किए गए सेवा कर की सम्पूर्ण राशि को सेनवैट (सी ई एन वी ए टी) क्रेडिट के रूप में दावा करने का हकदार होगा।

7. (क) ए.एस 15 (संशोधित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन (डिसक्लोजर) नीचे दिया गया है–

(i) निश्चित अंशदान योजना–भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्व निश्चित दरों से भविष्य निधि में एक अलग न्यास (ट्रस्ट) को निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। न्यास (ट्रस्ट) इस निधि (फंड) को स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। संबंधित अवधि के लिए निधि (फंड) में किए गये अंशदान को व्यय के रूप में लिया जाता है तथा इसे लाभ–हानि खाता में प्रभारित किया जाता है।

(ii) पारिभाषित लाभ योजना :

क) छुट्टीः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ तथा अद्धवैतनिक छुट्टी प्रदान करता है जो क्रमशः 30 दिनों तथा 20 दिनों के रूप में हर वर्ष जमा होती है। सेवा के दौरान छुट्टी भुनाने के समय 30 दिनों की अवशिष्ट छुट्टी रखकर बाकी अर्जित छुट्टी भुनाई जा सकती है। तथा सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी भुनाई जा सकती है। अधिवर्षिता पर अर्ध–वेतन छुट्टी जितनी भी बाकी हो उसे भुनाने दिया जाएगा। इस की देयता बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा सुविधाएं : सेवानिवृत्त कर्मचारी की न्यूनतम 10 वर्षों की निरंतर सेवा के अधीन एक बार के निर्धारित अंशदान के भुगतान पर सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/पति को चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है। यह योजना स्वैच्छिक है।

ग) ग्रेच्युटी : ग्रेच्युटी 5 वर्षों की लगातार सेवा के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर दी जाती है। इसकी दिनांक 24.5.2010 से प्रभावी उच्चतम सीमा ₹ 3.50 लाख से ₹ 10 लाख तक बढ़ा दी गई है। हालांकि इसे लागू करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को लिखा गया है।

घ) हितकारी निधि योजना : सेवा के दौरान ₹ 26 प्रतिमाह के अंशदान पर प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रतिमाह ₹ 1560/– की राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है।

ड.) सेवानिवृत्ति के पश्चात समाधान लाभ : सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी (तथा आश्रित) अपने पसंदीदा स्थान पर रहने हेतु पात्र है। वे स्थानान्तरण पर कार्यरत कर्मचारी के लिए लागू स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के भी पात्र हैं।

पारिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में ''कर्मचारी लाभों'' पर लेखा मानकों (ए एस) –15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित डिस्कलोजर इस प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	ग्रेच्युटी	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत समाधान लाभ
1.	वर्ष के आरम्भ में देनदारियां **	599.26	146.37	96.24
2.	ब्याज लागत	47.94	12.08	7.94
3.	चालू सेवा लागत	19.73	34.78	1.41
4.	भुगतान किए गए लाभ	(15.36)	(7.83)	(0.37)
5.	एक्चूरियल लाभ (-) / हानियां (+)	(48.99)	(11.17)	(18.81)
6	वर्ष के अंत में देनदारियां **	602.57	174.23	86.41

** बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध निधियों सहित

(क) संबंधित पार्टी प्रकटन

(ख) संबंधित पार्टियां

i) संयुक्त उद्यम :

संयुक्त उद्यम का नाम	स्वामित्व हित	
	31.03.2011	31.03.2010
(क) दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल)	26%	26%
(ख) मुंबई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल)	26%	26%
(ग) हैदराबाद अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एच आई ए एल)	13%	13%
(घ) बंगलौर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (बी आई ए पी एल)	13%	13%
(ड.) राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, गौंडिया (एन एफ टी आई पी एल)	49%	49%
(च) मिहान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नागपुर (बी आई ए पी एल)	49%	49%
(छ) चंडीगढ़ अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड	51%	51%

ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(1) श्री वी. पी. अग्रवाल, अध्यक्ष
(2) श्री के. के. झा, सदस्य (मानव संसाधन)
(3) श्री एस. रहेजा, सदस्य (योजना)
(4) श्री वी. सोमासुन्दरम, सदस्य (ए एन एस) व (वित्त)
(5) श्री जी. के. चौकियाल, सदस्य (प्रचालन)

(iii) उपर्युक्त ए (i) पर संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन इस प्रकार है:– **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2009-10
जे वी सी से वार्षिक शुल्क		
डी आई ए पी एल	577.26	538.92
एम आई ए पी एल	458.72	391.68
वर्ष के दौरान किया गया इक्विटी अंशदान		
डी आई ए पी एल	-	-
एम आई ए पी एल	52.00	52.00
एच आई ए एल	-	-
बी आई ए एल	-	-
एनएफटीआईपीएल, गोंडिया^^	2.61	10.53
मिहान प्राइवेट लिमिटेड*	-	4.90
*शेयर आवेदन मुद्रा		
^^ इक्विटी के डाइलूशन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 09–10 में दर्शाई गई राशि		
प्राप्त प्रचालन सहायता लागत		
डी आई ए पी एल	7.03	15.61
एम आई ए पी एल	10.24	8.68
अन्य प्राप्तियाँ	4.43	--
डी आई ए पी एल		
प्रचालन सहायता लागत के संबंध में प्राप्य राशि मिहान प्राइवेट लिमिटेड	16.98	3.86
किया गया पूंजीगत व्यय / से प्राप्त प्री इनकॉर्पोरेशन व्यय चंडीगढ़ अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड	2.51	--

(ब) ए एस 22 आस्थगित कर के अंतर्गत प्रकटन (डिसक्लोजर)

'आय पर करों के लिए लेखा' पर ए एस 22 के अनुसार 31 मार्च, 2011 को शुद्ध आस्थगित कर के लेखे का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

मदें	2010-11	2009-10
पुस्तक तथा कर ह्रास में अन्तर	90.88	61.23
अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	216.06	190.69
नगर निगम कर	12.58	12.06
छुट्टी नकदीकरण/सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ	193.98	140.05
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्भुगतान हेतु प्रावधान	27.47	31.64
कल्याण (हितकारी निधि)	33.12	37.27
जे वी सी से अपफ्रन्ट शुल्क	84.42	89.88
अनुग्रह / बोनस	8.85	9.26
आस्थगित कर आस्तियां (देयता)	**667.36**	**572.08**

ग) ए एस–29 के अंतर्गत डिस्क्लोजर

(i) प्रावधानों व आकस्मिक देयताओं का ब्यौरा तथा संचलन इस प्रकार है:–

(₹ करोड़ में)

	प्रावधान				आकस्मिक देयताएं
	कर	लाभांश	छुट्टी नकदीकरण	अन्य	
01.04.2010 को आरम्भिक शेष	3833.13	142.50	384.74	446.28	1529.41
परिवर्धन	594.36	169.30	89.07	1.48	27.22
उपयोग / समायोजन	(1179.32)	(142.50)	(38.32)	(1.12)	(236.36)
31.3.2011 को अंतिम शेष	3248.17	169.30	435.49	446.64	1320.27

8. हैदराबाद तथा बैंगलोर हवाई अड्डे

हैदराबाद तथा बैंगलोर में नए हवाई अड्डों के चालू हो जाने के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक नागर विमानन गतिविधियों के लिए अब उपयोग नहीं की जा रही सुविधाओं/परिसम्पत्तियों के इस्तेमाल के लिए वैकल्पिक उपाय निर्मित/ढूंढ रहा है।

9. वचनबद्धता

पूंजीगत लेखे में निष्पादित किए जाने हेतु शेष ठेके की अनुमानित राशि साख पत्र सहित और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, वह तुलन पत्र की तारीख को ₹ 2256.86 करोड़ (₹ 3872.34 करोड़) हैं।

10 भारतीय वायु सेना के साथ समझौते के अनुसार भा.वि.प्रा. अमृतसर हवाई अड्डे पर अपने खर्चे से ओ आर पी बनाएगा तथा निर्माण के पश्चात भारतीय वायु सेना मौजूदा ओ आर पी से उक्त ओ आर पी में स्थानांतरित हो जाएगी। इस कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹ 23 करोड़ हैं।

11 विविध देनदारों में शामिल पी एफ अंशदान के ₹ 100.22 लाख रुपए सहित वैधानिक प्राधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रेषित धनराशि के लंबित रखने तक 2002–03 से 2010–11 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती सी एस आई हवाई अड्डे पर कार्यरत कैजुअल कामगारों के वेतन से वसूले गए ब्याज की राशि भी शामिल हैं।

12 वर्ष के दौरान पूंजीगत / सी डब्ल्यू आई पी में दर्ज ऋण लागत ₹ 37.87 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹ 16.33 करोड़)

13 लेखाकरण नीतियों में बदलाव का प्रभाव

हवाई अड्डों पर लगाए गए पात्र सुरक्षा उपकरणों/अवसंरचनाओं की लागत पर किए गए व्यय का वी एस एफ (सुरक्षा अंश) से करने के लिए लेखाकरण नीति में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरुप चालू वर्ष का लाभ ₹ 60.82 करोड़ कम हो गया है।

14 सामान्य

क. आयकर अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अनुसार करों का भुगतान किया जाता है।

ख. संसद में लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार को लाभांश का भुगतान किया जाता है।

ग. आकस्मिक तथा अन्य देयताओं को स्थिति अनुसार निपटाया जाता है।

15. अन्य

(i) अग्रिमों/उपभोक्ता लेखों/देयताएं आदि की शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है।

(ii) ₹ 8.01 लाख (पिछले वर्ष ₹11.11 लाख) की हानियों की जांच पड़ताल लम्बित है।

(iii) गत वर्षों के आंकड़ों तथा अनुसूचियों को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित/पुनः समुहीकृत किया गया।

(एम० सी० किशोर)	(एस. सुरेश)	(वी० सोमासुन्दरम)	(वी० पी० अग्रवाल)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.7.2011

अनुलग्नक–"यू"

लेखा नीतियां

प्राधिकरण द्वारा अनुसरण की गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियां इस प्रकार है:–

1 लेखा आधार

लेखों को मान्य राजस्वों सहित ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया गया तथा व्ययों की गणना अक्रूवल आधार पर की गई ।

2 स्थिर आस्तियां

(i) स्थिर आस्तियों को लागत (अर्जन, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने से संबंधित अन्य व्ययों सहित) माना गया है।

(ii) पूंजीकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूंजीकरण नीति के अनुसार कार्यान्वित किया गया है।

(iii) वे सभी परियोजनाएं जिन्हें पूरा कर लिया गया है परन्तु उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सका, उन्हें परियोजना के पूरा होने की तारीख से तीन महीने के पश्चात् पूंजीकृत किया गया है।

(iv) आंशिक रुप से पूर्ण कार्य/परियोजनाओं तथा उनको प्रयोग में लेने वाले कार्यों को तकनीकी निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

(v) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आस्तियों से असंबंधित व्यय राजस्व व्ययों के रुप में प्रभारित किए गए हैं।

(vi) परित्यक्त कार्यों के मामले में पूर्व–परियोजना व्यय तथा समय से पूर्व समाप्त किए गए व परित्यक्त कार्यों के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है।

(vii) स्थिर आस्तियां जिनका पूर्णतयाः मूल्यह्रास हुआ है उन्हें 1 रुपये के शेष मूल्य पर दर्शाया गया है।

(viii) राज्य सरकार से निःशुल्क अर्जित गैर वित्तीय आस्ति की लागत प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए 1 रुपये के नाम मात्र के मूल्य माना गया है।

(ix) जहां कहीं भूमि की बिक्री/हस्तांतरण/निपटारा किया गया तथा ऐसी भूमि का मूल्य विशेष उपलब्ध नहीं है, वहां निःशुल्क अर्जित भूमि के मामलों को छोड़कर यह अर्जन की औसत लागत पर मूल्य दर्शाया गया है।

(x) संयुक्त स्थिर आस्तियों के मामले में ऐसी आस्तियों में भा.वि.प्रा. के हिस्से को लागत मूल्य के अनुसार लेखाकृत किया गया है तथा तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

(xi) परियोजनाओं के लिए उधार पर ब्याज पूंजीकृत है।

(xii) पूंजीगत परियोजनाएं देख रहे विशिष्ट परियोजना प्रभाग के प्रत्यक्ष राजस्व व्यय को कार्यों की समापन लागत के साथ पूंजीगत किया गया है। परियोजना के संबंध में एकत्रित अग्रिम पर ब्याज परियोजना व्यय के लिए निर्धारित है।

(xiii) भविष्य में आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्तियों को पूंजीगत करते हुए 5 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

3 निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार है।

4 मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास का प्रावधान स्थिर आस्तियां अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया गया है।

(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय स्थिर आस्तियों में की गई वृद्धि पर मूल्यह्रास को पूरे वर्ष के लिए हिसाब में लिया गया है।

(iii) स्थिर आस्तियां के वर्ष के दौरान किए गए निपटान पर मूल्यह्रास नहीं लिया गया है।

5 देनदार

सरकारी विभागों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों से 2 वर्षों से भी अधिक पुराने वसूली योग्य ऋण को संदिग्ध ऋण माना गया है तथा दिखाया गया है। माध्यस्थम/मुकदमेबाजी/विवादों से संबंधित मामलों में ऋण की अवधि के कुछ भी होने पर लेखों में आवश्यक प्रावधान किया गया है। उपलब्ध जमानत जमा पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करते समय विचार नहीं किया गया है। संदिग्ध ऋण के प्रावधान में देनदारों से प्राप्य सेवा कर की राशि को शामिल नहीं किया गया है।

6 भंडार/स्पेयर

(i) वर्ष के दौरान उपभोग किए गए भण्डार / स्पेयर को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में भंडार (5000 तथा उससे कम की इकाई लागत वाले भंडार/स्पेयर के अतिरिक्त) प्राप्ति की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए एफ आई एफ ओ आधार पर लागत मूल्य पर मूल्यांकित है इसके पश्चात् मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है:–

छठे वर्ष में	–	लागत का 70%
सातवें वर्ष में	–	लागत का 40%
आठवें वर्ष में	–	लागत का 10%

(iii) 1.4.2005 को अनप्रयुक्त भण्डार/स्पेयर को लागत के 10% पर मूल्यांकित किया गया है।

7 अनुदान तथा सब्सिडी

सरकार द्वारा अनुमोदित करार के तहत आस्तियों के अधिग्रहण हेतु सरकार तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों से अनुदान/आर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त हुई राशियों को पूंजी अनुदान में दर्शाया गया है। आस्तियों के पूंजीकरण के समय उनके पुस्तक मूल्य में आस्तियों के सकल मूल्य से अनुदानों की कटौती की जाती है। अनुदान व आस्ति की लागत समान होने पर आस्ति को ₹1/- के नाममात्र मूल्य पर तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में दर्शाया जाना चाहिए।

8 विदेशी मुद्रा का लेन–देन

(i) विदेशी मुद्रा की, लेन–देन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर गणना की गई है।

(ii) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा में आस्तियों और ऋण/अन्य देयताओं का पुनर्निर्धारण वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर दर्शाया गया है सिवाय एक्सचेंज अर्नर फारेन करेन्सी (ई ई एफ सी) लेखों में शेष को छोडकर जिसे ऐसे लेखों के लिए निर्धारित दरों के अधीन लेखा में शामिल किया गया है।

9 विशेष मरम्मतें

(i) धावनपथों, टैक्सीपथों व एप्रनों आदि पर उनके पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर (पी सी एन) वैल्यू को मूल स्तर पर लाने के लिए विशेष मरम्मत के कार्यों पर हुए खर्च में कई बार पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर में हुई आकस्मिक वृद्धि को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया जाना है।

(ii) सी एफ टी एस के पुनः सुसज्जित करने हेतु किए गए व्यय को विशेष मरम्मतों के रुप में माना जाता है तथा व्यय वर्ष के दौरान प्रभारित किया जाता है।

10 राजस्व रेकगनिशन

(i) राजस्व को अक्रुवल आधार पर प्रदत्त सेवाओं के रुप में माना गया है तथा यह सेवा कर के उपरांत शुद्ध राशि है।

(ii) बिल उस समय जारी किए जाते है जब इनके तथा अंततः वसूली के संबंध में कोई विशेष संशय न हो।

(iii) कानूनी विवादों/पी पी ई अधिनियम, देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज, कार्गो विलंब शुल्क (एयरलाइनों/एजेंसियों के प्रति जारी बिलों के अतिरिक्त) बीमा दावे, स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आदि जैसे मामलों में गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है।

(iv) ''सर्व इंडिया योजना'' के अधीन प्राप्त सीमा–शुल्क छूट प्रमाण पत्रों की अनुमानित उपयोग पर आधारित आय के रुप में गणना की जाती है।

(v) प्राधिकरण द्वारा किए गए निक्षिप्त कार्यों के संबंध में विभागीय प्रभारों के रुप में उपार्जित आय की राशि को धनराशि प्राप्त होने अथवा अंतिम दावा प्रस्तुत किए जाने पर लेखों में दर्ज किया जाता है।

11 आयकर

आयकर के प्रावधान को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के रुप में समायोजित किया गया है।

12 आस्थगित कर

लेखा पुस्तिका तथा कर योग्य लाभ के बीच समय अन्तराल के परिणामस्वरुप आस्थगित कर को तुलन पत्र की तारीख से लागू किया अथवा मूलभूत रुप में लागू कर दरों तथा कानूनों के प्रयोग से लेखा में शामिल किया गया है। आस्थगित कर आस्ति निर्धारित सीमा तक ही आगे ले जाई गई है जहां तक इसके भविष्य में प्राप्ति की पर्याप्त संभावनाएं हो।

13 आस्तियों की हानि

अगर आंतरिक/बाह्य कारणों पर आधारित हानि का कोई संकेत हो तो प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को आस्तियों को आगे ले जाने वाली राशि की समीक्षा की जाती है। जब भी एक आस्ति को आगे ले जाने वाली राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो आस्तियों की हानि ज्ञात होती है।

14 सेवानिवृत्ति लाभ

ग्रेच्युटी, अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी, सेवा निवृत कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ व समाधान लाभ के लिए प्रावधान एक्चूरियल वैल्यूएशन के आधार पर किया गया है।

15 अन्य

(i) विशिष्ट आरक्षित का उपयोग बोर्ड द्वारा विशिष्ट आरक्षित के उपयोग हेतु अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ii) सुरक्षा उपस्करों/अवसंरचना हथियारों आदि सहित विमानन संरक्षा बल यथा सी आई एस एफ पर किया गया व्यय, राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित है।

(iii) तीन वर्षों से अधिक ई एम डी/सुरक्षा निक्षेप जिनका दावा नहीं किया गया है उन्हें विविध आय के रुप में माना गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.7.2011

(एम० सी० किशोर)
कार्यपालक निदेशक
(निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(एस. सुरेश)
कार्यपालक निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

(वी० सोमासुन्दरम)
सदस्य (वित्त)

(वी० पी० अग्रवाल)
अध्यक्ष

अनुसूची–"वी"

सेगमेंट इंफारमेशन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	क्षेत्र	राजस्व		व्यय		अंशदान / अधिशेष	
		2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
1	उत्तरी क्षेत्र	**137320.72**	122242.79	**105052.80**	88193.36	**32267.93**	34049.43
2	पश्चिमी क्षेत्र	**140761.24**	126828.56	**92696.36**	83535.91	**48064.88**	43292.65
3	दक्षिणी क्षेत्र	**154925.95**	144729.77	**124057.64**	113544.65	**30868.31**	31185.12
4	पूर्वी क्षेत्र	**70574.82**	59101.65	**72061.46**	71437.99	**(1486.64)**	(12336.34)
5	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	**10141.30**	8495.97	**27636.47**	25699.32	**(17495.17)**	(17203.35)
6	क्षेत्रीय लेखा एकक, एस ए पी	**196.52**	130.59	**7777.09**	7889.50	**(7580.57)**	(7758.91)
	कुल	**513920.56**	461529.34	**429281.81**	390300.74	**84638.75**	71228.60

नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 31 को समाप्त वर्ष 2011	2010
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
वैमानिक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्राप्तियां		
क) अवतरण प्रभार	**34637.97**	31473.73
ख) पार्किंग एवं हाउसिंग	**1093.95**	1095.42
ग) आर एन एफ सी	**166406.96**	151025.37
घ) टी एन एल सी	**28859.38**	27232.13
ड) पी एस एफ	**62198.97**	53033.32
च) यू डी एफ	**8485.85**	546.33
छ) अन्य	**887.62**	4020.67
ज) विविध कर्जदारों ट्रैफिक में कमी (+)/वृद्धि (-)	**(27750.21)**	(5474.85)
(1) शुद्ध वैमानिकी प्राप्तियां	**274820.49**	262952.12
गैर–वैमानिक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्राप्तियां		
क) जन प्रवेश शुल्क	**1451.73**	1586.60
ख) रेंस्तरा और स्नैकबार	**3743.16**	3427.27
ग) होर्डिंग और डिस्पले	**8989.32**	8374.99
घ) डयूटी फ्री दुकाने	**5329.49**	4306.21
ड) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं	**1025.42**	627.43
च) व्यापारिक रियायतें	**17804.53**	16461.92
छ) पार्किंग सेवाएं	**4136.18**	3558.60
ज) किराया व सेवाएं	**25332.68**	23569.13
झ) कार्गो राजस्व	**22928.39**	17624.70
ट) विविध आय	**6219.31**	13481.92
ठ) विविध कर्जदारों गैर–ट्रैफिक में कमी (+)/वृद्धि (-)	**10695.02**	10990.66
(2) शुद्ध गैर–वैमानिक प्राप्तियां	**107655.24**	104009.43
(3) पट्टे पर दिए जाने की गतिविधियों से शुद्ध प्राप्तियां	**105368.74**	88724.98
(I) शुद्ध नकद प्राप्तियां (1+2+3)	**487844.47**	455686.52
(4) कर्मचारियों पर शुद्ध नकद खर्च	**(195797.80)**	(108618.08)
(5) प्रचालन गतिविधियों पर शुद्ध नकद खर्च	**(63025.30)**	(76049.40)
(6) सुरक्षा पर शुद्ध नकद खर्च	**(44631.52)**	(34036.69)

नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		मार्च 31 को समाप्त वर्ष 2011	2010
(II) शुद्ध नकद भुगतान (4+5+6)		**(303454.61)**	(218704.17)
प्रचालनों से उत्पन्न नकद (I-II)		**184389.86**	236982.35
(7) भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर (शुद्ध वापसी)		**(45063.70)**	(19016.92)
पूर्व अवधि समायोजनों से नकद प्रवाह		**139326.16**	217965.43
(8) शुद्ध पूर्व अवधि		**(1250.49)**	854.72
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(क)**	**138075.67**	218820.14
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह			
(1) पूंजीगत खर्चों पर शुद्ध नकद व्यय		**(229506.94)**	(265992.60)
(2) पूंजीगत अनुदानों का उपयोग		**(16.13)**	(6060.97)
(2) संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश पर नकद खर्च		**(5461.50)**	(6742.93)
(3) प्राप्त ब्याज से नकद प्राप्तियां		**1949.50**	4714.99
निवेश संबंधी गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(ख)**	**(233035.07)**	(274081.51)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
(1) भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी से प्राप्तियां		**3227.50**	4958.00
(2) सरकार से अनुदानों के रूप में प्राप्तियां		**28269.01**	7995.00
(3) उधारी से प्राप्तियां (भारत सरकार से प्राप्तियां सहित)		**88227.50**	62737.00
(4) ऋण, ऋणों पर ब्याज की चुकौती		**(33733.40)**	(18790.87)
(5) भुगतान किया गया लाभांश		**(14250.00)**	(3740.00)
(6) भुगतान किए गए लाभांश पर कर		**(2366.75)**	(635.61)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(ग)**	**69373.86**	52523.52
नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)		**(25585.54)**	(2737.85)
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्षों का योग		**36206.51**	38944.36
वित्तीय वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद समकक्ष		**10620.97**	36206.51

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994) की धारा 28 (2) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरण) नियम, 2008 के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च 2011 की संलग्न बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्राधिकरण के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार प्रकट करने ही है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः मान्य लेखापरीक्षा प्रतिमानों के अनुसार की है। इन प्रतिमानों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा को इस प्रकार नियोजित तथा निष्पादित करें ताकि हमें इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रुप से गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों तथा प्रकटनों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों की परीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाए गए प्रकटनों एवं प्रबंधन द्वारा दर्शाए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल है। हमें विवास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा में युक्तिसंगत आधार पर अपना मत व्यक्त किया है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :–

(i) हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार जो सूचना तथा स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सभी हमने प्राप्त कर लिए हैं :

(ii) इस रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट तथा लाभ व हानि लेखा प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (छ) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम 2008 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए प्रपत्र में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में जहां तक हमारे द्वारा इन लेखा बहीखातों की परीक्षा करने से प्रतीत होता है, प्राधिकरण द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 28 (1) के अंतर्गत बताई गई आवश्यकता के अनुसार लेखा बहीखातों एवं अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डो को सही रुप में तैयार करके रखा गया है, सिवाय इसके कि :–

क. सामान्य

1. प्राधिकरण के लेखों में दर्शाई गई कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट की राशि का वर्ष 2010–11 के लिए ट्रस्ट की लेखा पुस्तकों के संदर्भ के साथ सत्यापन नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राधिकरण के लेखे के बंद होने के समय तक ट्रस्ट के खाते को अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

ख. लाभ तथा हानि

व्यय

प्रचालन व्यय (अनुसुची एम)

सुरक्षा व्यय– के.औ.सु.ब. पर व्यय ₹ 418.43 करोड़

इसमें हवाई अड्डों पर लगाए गए सुरक्षा उपकरणों/अवसंरचनाओं पर किया गया ₹ 68.66 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने अपनी लेखा नीति संख्या 15 (ii) (अनुसूची–यू 'लेखा नीतियां' संदर्भ) परिवर्तित की जिसके अनुसार सुरक्षा उपकरणों/अवसंरचनाओं पर किया गया व्यय भी राजस्व व्यय माना जाएगा। परिवर्तित नीति 'स्थिर आस्तियों के लिए लेखाकरण' के लेखाकरण मानक–10 के अनुरुप नहीं'' है जिसके परिणामस्वरुप शुद्ध ब्लॉक तथा वर्ष के लिए लाभ को ₹ 60.82 करोड़ (₹ 68.66 करोड़ में से प्रभारित किए जाने वाले ₹ 7.84 के मूल्यह्रास को घटा कर) कम दर्शाया गया।

(iv) उपरोक्त अनुच्छेदों में किए अपनी टिप्पणियों के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से बनाई गई बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि लेखो, लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(v) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत उक्त वित्तीय विवरण, ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मद्यों तथा उनके लेखापरीक्षा के अनुबंध–1 में उल्लिखित अन्य मुद्यों के मद्येनजर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरुप सही व उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहां तक बैलेंस शीट का संबंध है, वह प्राधिकरण के 31 मार्च, 2011 के क्रियाकलापों से संबंधित है : तथा

(ख) जहां तक लाभ–हानि लेखों का संबंध है वर्ष की समाप्ति की तारिख को प्राधिकरण का लाभ दर्शाता है।

(इला सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–I,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा का कुछ भाग प्राधिकरण के आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा किया जाता है और कुछ भाग बाहरी चार्टरित लेखाकर फर्मों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान 73 हवाई अड्डों की लेखा परीक्षा करने की योजना थी जिसमें से केवल 47 हवाई अड्डों / इकाईयों की लेखा परीक्षा गई।

आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता के संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक आश्वासन प्रदान नहीं करती।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

नमूना परीक्षण के दौरान अशुद्ध वस्तुसूची मूल्यांकन तथा भूमि रिकॉर्डों का अनुचित रखरखाव जैसी कमियां पाई गई, इससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरी का पता चलता।

3. स्थिर आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

विभिन्न इकाइयों पर रिकॉर्डों के नमूना परीक्षण से पता चला कि 31 इकाईयों/हवाई अड्डों पर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट नहीं किया गया था। नमूना परीक्षण से आगे पता चला कि अमृतसर तथा निगमित मुख्यालय में हालांकि प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया किन्तु प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट का स्थिर आस्तियां रजिस्टरों के संदर्भ के साथ मिलान नहीं किया गया ताकि किसी भी प्रकार की कमी/अधिकता, यदि कोई हो तो, का पता चल सके।

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

रिकॉर्डों के नमूना परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि तीन इकाईयों में वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण ने निर्विवाद सांविधिक देय राशियों का भुगतान नियमित रुप से किया है। विवादित मामलों में, लक्ष्यों का खुलासा लेखों की टिप्पणियों में खुलासों के माध्यम से अथवा आकस्मिक देयताओं के तहत किया गया है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो तथा वित्त स्कंध द्वारा वस्तुसूची के मूल्यांकन में पाई गई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौधोगिकी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।